रजिस्ट्री सं० डी०-(डीएन)—73

REGISTERED NO. D.—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1987 (पौष 27, 1908)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1987 (PAUSA 27, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Controller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली 110011, दिनांक 1 दिसम्बर 1986

सं० ए० 32013/2/86-प्रशा०-1—संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग (कर्मचारी वृंद) विनियमन 1958 के विनियम 7 के द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग के के० स० से० संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को, उनके प्रत्येक के नाम के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के० स० से० के ग्रेड-1 में अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	2	3
सर्वश्री		
1.	बी० एन० अरोड़ा	(26-11-86 से 9-1-87 (अपराह्न) तक
2.	बी० डी० शर्मा	26-11-86 से 9-1-87 (अपराह्न) तक
3.	डी० आर० मदान	—वही—
4.	धनीश चन्द्र	—वही—
5.	एस० डी० शर्मा	—वही—
6.	पी० डी० श्रीवास्तव	—वही—

दिनांक 11 दिसम्बर 1986

सं० ए० 32013/2/86-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सं० लो० से० आ० (कर्मचारी वृंद) विनियमावली 1958 के नियम 7 के द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग के के० स० से० सम्वर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एन० नामा सिवायम को दिनांक 11-12-86 से 10-3-87 तक या आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

सं० ए० 32014/1/86 (I) प्रशा०— राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग के निम्नलिखित वरिष्ठवैयक्तिक सहायकों (के० स० आ० सेवा का ग्रेड "ख") को उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक उसी संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (के० स० आ० से० का ग्रेड "क") के पद पर नियुक्त करते हैं:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
	सर्वश्री	
1.	तरसेम सिंह	4-12-86 से 28-2-87 तक
2.	के० एस० भूटानी	—वही—
3.	पी० पी० सिक्का	—वही—
4.	एम० एम० एल० चादना	—वही—
5.	एम० एम० एल० दुआ	—वही—

उपर्युक्त व्यक्ति कृपया नोट कर लें कि निजी सचिव (के० स० आ० से० का ग्रेड "क") के पद पर उनकी नियुक्ति तदर्थ है तथा उन्हें के० स० आ० से० के ग्रेड "क" में विलयन या इसमें वरिष्ठता का कोई हक प्राप्त नहीं होगा। वे यह भी नोट कर लें कि इनकी नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के अध्याधीन है।

एम० पी० जैन
अवर सचिव (का० प्रशा०)
संघ लोक सेवा आयोग

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
नई दिल्ली 110003, दिनांक दिसम्बर, 1986

सं०—3/26/86—प्रशा०—5—राष्ट्रपति श्री सतीश साहनी भा० पु० से० (महाराष्ट्र 1963) को दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

धर्मपाल भल्ला
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, के० रि० पु० बल

नई दिल्ली 110003, दिनांक 18 दिसम्बर, 1986

सं० डी—1—13/86—प्रशा०—3—सं० स० नि० (लेखा) लेखा—परीक्षा अधिकारी के पद पर के० रि० पु० बल में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को आंतरिक लेखा—परीक्षा दल में लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सामने लिखे स्थान/दल पर लेखा—परीक्षक तैनात किया जाता है और उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से अस्थाई रूप में पद भार पर अगले आदेश होने तक ले लिया गया:—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	तैनाती	कार्यभार की तारीख
1.	श्री एस० के० मोहयुद्दिन	लेखा-परीक्षा (दक्षिण क्षेत्र) का० पु० महानिरीक्षक सैक्टर—1, के० रि० पु० बल हैदराबाद	27-10-86
2.	श्री ज्योतिर्मय गुप्त	लेखा—परीक्षा (पूर्वी क्षेत्र) का० पु० महानिरीक्षक सैक्टर—2, के० रि० पु० बल कलकत्ता	6-11-86

ह० अपठनीय
उप निदेशक (प्र०)

नई दिल्ली 110003, दिनांक 22 दिसम्बर, 86

सं० ओ०—दो०—214/69—स्थापना—1—श्री सुन्दर सिंह सहायक कमांडेन्ट (सेकेन्ड—ईन—कमान्ड) 5वीं बटा० के० रि० पुलिस बल का देहान्त दिनांक 3-10-86 (पूर्वाह्न) को हो गया है। उन्हें दिनांक 3-10-1986 (अपराह्न) से इस फोर्स की गणना से हटा दिया गया है।

सं० नं० ओ० दो—538/69स्था०—श्री०एम के० टी० गर्ग कमान्डेंट 86 बटालियन के० रि० पु० बल ने सरकारी सेवा से स्वेच्छा निवृत होने के फलस्वरूप दिनांक 30-11-86 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सं० डी०—1/29/85—स्थापना—1—पंजाब पुलिस से रिपैट्रिएशन होने के फल स्वरूप श्री डी० के० खुराना, सहायक कमान्डेंट ने पदोन्नति पर कमाडेन्ट पद का कार्यभार के० रि० पु० बल दिल्ली में दिनांक 13-10-1986(पूर्वाह्न) को संभाल लिया और 40 दिन की एल० के० डी० पर प्रस्थान कर गये।

अशोक राज महीपति
सहायक निदेशक (स्थापना)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली 110002, दिनांक 24 दिसम्बर, 1986

सं० 31-वा० ले० प० 1/98-69—निदेशक लेखा-परीक्षक (खाद्य) नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यरत श्री गुरदयाल सिंह लेखापरीक्षा अधिकारी (वा०) अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-11-86 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

डी० एन० आनन्द
सहायक नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (वा०)

कार्यालय महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (म० प्र०)

ग्वालियर, दिनांक 16 दिसम्बर 1986

सं० प्रशासन एक/पी० एफ० एस० आर० में/283—श्री एस० आर० कान्हे (01/173) स्थाई लेखा अधिकारी जो कार्यालय महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी द्वितीय म० प्रदेश ग्वालियर कार्यरत हैं, अपनी अधिवार्षिकी वय के कारण 31-12-1986 को अपराह्न केन्द्रीय सेवा से निवृत्त होंगे।

(प्राधिकार-महालेखाकार) लेखा एंव हकदारी (प्रथम के आदेश दिनांक 15-12-86)

निरंजन पंत
वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(प्रशासन)

श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय
श्रम विभाग
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 2 जनवरी 1987

संख्या 5/1/86 सी. पी. आई.—नवम्बर, 186 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) अक्तूबर, 1986 के स्तर 685 से सात अंक बढ़ कर 692 (छः सौ बानवें) रहा। नवम्बर, 1986 माह का सूचकांक आधार वर्ष 1949=100 पर परिवर्तित किए जाने पर 841 (आठ सौ इकतालीस) आता है।

विजय कुमार
उप निदेशक
श्रम ब्यूरो

श्रम मंत्रालय

कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय

बम्बई- दिनांक 24 दिसम्बर, 1986

सं० 15-12/86-स्थापना—डी० जी० फ़सली बम्बई के विभागाध्यक्ष श्री एस० के० चटर्जी सहायक, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली को इस महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय में क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, कानपुर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 12-12-86 (पूर्वाह्न) से 3 वर्ष के लिए डेपुटेशन पर नियुक्त करते हैं।

के० ए० नारायनन
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 1986

आयात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण

स्थापना

स 6/1033/74-प्रशा० (रजि०) 5966—मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के श्री एल० के० बत्रा, सहायक मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड-3) को 7 नवम्बर, 1986 की पूर्वाह्न अगले आदेश होने तक उप मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड-2) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 6/1039/74-प्रशा० (राज०) 5974—राष्ट्रपति, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में श्री एम० एम० डे, सहायक मुख्य नियंत्रण, आयात-निर्यात (केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड-3) को 6 नवम्बर, 1986 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड-2) (उप मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात) के रूप में नियुक्त करते हैं।

शंकर चंद
उप मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्ब 20, दिनांक 24 दिसम्बर 1986

स० 2(89)/स्था०-I/86/5484—वस्त्र आयुक्त, बम्बई का अधीनस्थ कार्यालय शक्तिचालित कर्घा सेवा केन्द्र, गया के श्री एस० के० चंडोक, जो तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक श्रेणी-2 (पी० एवं डी०) के रूप में स्थानापन्न थे, दिनांक 11-9-1986 के पूर्वाह्न को स्वेच्छा से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

वीरेन्द्री बी० वर्मा
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय
(प्रशासन अनुभाग प्र०-6)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 दिसम्बर 1986

सं० ए-31014/1/85/प्र-6—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान निम्नलिखित सहायक निरीक्षण अधिकारियों (अभियांत्रिकी) को एतद्द्वारा सहायक निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) के स्थायी पद पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
	सर्वश्री	
1.	ओ० एन० लशकारी	1-2-1983
2.	एम० माधवराय	1-2-1983
3.	जसवंत सिंह	1-9-1983
4.	आर० एस० मिनहास	1-10-1983
5.	बी० के० आर्य	7-5-1985
6.	आर० के० दास गुप्ता	7-5-1985
7.	पी० एन० फाग्रे	7-5-1985
8.	ए० एम० प्रांजपे	7-5-1985
9.	बी० नन्दन	7-5-1985
10.	के० एन० नागराज	7-5-1985
11.	टी० आर० घोष	7-5-1986
12.	एस० सी० गर्ग	7-5-1985
13.	एस० के० जैन	1-9-1985
14.	एन० एस० नटराजन	1-9-1985
15.	एस० के० मुखर्जी	1-11-1985
16.	ए० के० कुट्टन	1-1-1986
17.	के० आर० नारायनन	1-2-1986
18.	बी० एम० सरण	1-6-1986
19.	डी० बंद्योपाध्याय	1-6-1986
20.	सी० पी० श्रीवास्तव	1-6-1986
21.	एस० के० पंडित	1-8-1986
22.	जी० एच० मंडल	1-9-1986
23.	आर० के० मल्होत्रा	1-11-1986

आर० पी० शाही
उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

इस्पात एवं खान मंत्रालय
(खान विभाग)
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता 700016, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

सं० 8507 बी/ए-32013(प्रशा० अधि०)/78-19ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री डी० बी० भसीन को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द०-रो०-40-1200 रु० के वेतनमान पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिम क्षेत्र, जयपुर के प्रशासनिक अधिकारी श्री ए० बी० पी० राव के अवकाश रिक्ति में 10-11-1986 से 12-12-86 तक की अवधि के लिए 10-11-86 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया गया है।

अमित कुमारी
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

कलकत्ता, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

सं० 8517बी/19011(3-एम०,एल० के०)/80-19बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रसायनज्ञ (कनिष्ठ) श्री एम० एल० कुंभारे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से 26-9-1986 के पूर्वाह्न से अपना पदभार छोड़ दिया है ताकि वे पौधा संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली, में निदेशक (क्षेत्रीय प्रयोगशाला) के रूप में पद ग्रहण कर सकें।

अमित कुमारी
निदेशक (कार्मिक)

भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर, दिनांक 23 दिसम्बर, 1986

सं० ए-19011(95)86-स्था० ए—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर श्री बाबू जार्ज, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो को स्थानापन्न रूप में दिनांक 8-11-1986 के पूर्वाह्न से क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी के पद पर भारतीय खान ब्यूरो में पदोन्नति प्रदान की गई।

दिनांक 24 दिसम्बर, 1986

सं० ए-19011(195)86-स्था० ए—विभागीय पदोन्नति समिति कि सिफारिश पर श्री एस० आर० भंसारे वरिष्ठ रसायनविद को भारतीय खान ब्यूरो में स्थानापन्न रूप में दिनांक 18-12-1986 के अपराह्न से अधिक्षक रसायनविद के पद पर जिसका वेतन रुपये 1500-60-1800-100-2000/- है, पदोन्नति प्रदान की गई है।

जी० सी० शर्मा
सहायक प्रशासन अधिकारी
कृते महानियन्त्रक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 1986

सं० ए० 38012/3/86-प्रशासन-1—सेवा निवृत की आयु हो जाने पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डा० महेन्द्र

सिंह, निदेशक (केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो) 31 अक्तूबर, 1986 के अपराह्न से सेवा से सरकारी सेवा से रिटायर हो गए हैं।

पी० के० घई
उप निदेशक प्रशासन (सी० एण्ड बी०)

कृषि मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 15 दिसम्बर, 1986

सं० ए०-19027/1/85-प्र०-III—योजना तथा वास्तुकला विद्यालय में प्रवक्ता के रूप में अपनी नियुक्ति हो जाने पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद में सहायक नियोजक श्री एस० के० मेहरा द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र 17 नवम्बर, 1986 (अपराह्न) से स्वीकार कर लिया गया है। श्री मेहरा अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की सेवा में नहीं हैं।

अनीता चौधरी
कृषि विपणन सलाहकार

अन्तरिक्ष विभाग शार केन्द्र

श्रीहरिकोटा, दिनांक 24 नवम्बर, 1986

सं० एस० सी० एफ/पी० जी० ए०/स्थापना II/15—नियन्त्रक शार केन्द्र एतद्द्वारा श्री एन० पेंचलय्या को सहायक लेखाधिकारी के रूप में, पदोन्नति द्वारा वेतनमान रुपये 2000-60-2300-द०रो०-75-3200/ में, शार केन्द्र श्रीहरिकोटा में, स्थानापन्न क्षमता के रूप में दिनांक 29-9-1986 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

पी० एस० नायर
प्रधान कार्मिक और सामान्य
प्रशासन प्रभाग
कृते नियन्त्रक

परिवहन मंत्रालय
जलभूतल परिवहन विभाग

मुंबई, दिनांक 8 दिसम्बर, 1986

सं० II-टी० आर० (6)/76—राष्ट्रपति समुद्री इंजीनियरी कलकत्ता निदेशालय प्रशिक्षण, के श्री प्रवीर घोष, इंजिनियर अधिकारी का त्याग पत्र दिनांक 3-11-86 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

एन० के० प्रसाद
नौवहन उपमहानिदेशक

उद्योग मंत्रालय
कम्पनी के कार्य विभाग
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 के मामले में एवं मैसर्स सवेरा मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर, दिनांक 18 दिसम्बर, 1986

सं० 2182 पी० एस० (सी० पी०) 285—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर, मेसर्स सवेरा मार्केटिंग कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड भोपाल का नाम, यदि इसके विरुद्ध कोई कारण न दर्शाया गया तो, रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा एवं कथित कम्पनी समाप्त हो जायेगी।

एस० करमाकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश

कम्पनी अधिनियम 1956 और विकाश राय प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर 1986

सं. 22786/560(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर पर विकाश राय प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और अनुशिलन एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर 1986

सं० 19826/560/(3)/कलकत्ता—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर अनुशिलन एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और झक्कन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर 1986

सं० 32099/560/(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर झक्कन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कलकत्ता ।
कुरियार सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर 1986

सं० 31771/560/(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कलकत्ता कुरियार सार्विस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रातिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और हिन्दुस्तान ड्राम मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर 1986

सं० 24605/560/(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर हिन्दुस्तान ड्राम मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और पुथिघर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसबर 1986

सं० 26869/560/(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पुथिघर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और डा० पी० के० महन्ती इंजीनियर्स के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर 1986

सं० 27974/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर डा० पी० के० महन्ति इंजीनियर्स प्राइवेट लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी

कम्पनी अधिनियम 1956 और माईका एन्सुलेशन इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर, 1986

सं० 24969/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर माईका इन्सुलेशन इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और आगाई प्रायवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर, 1986

सं० 29185/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर आगाई प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और के० दास एन्ड क० प्रायवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर, 1986

सं० 21615/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर के० दास एंड कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी

कम्पनी अधिनियम 1956 और रंजन माईका इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता दिनांक 22 दिसम्बर, 1986

सं० 30387/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर रंजन माईका इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और शिव गौरव प्रायवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 दिसम्बर, 1986

सं० 28983/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर शिव गौरव प्रायवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी सी० गुप्त
कम्पनियों का अ: रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 25 नवम्बर, 19886

निदेश सं० सी० आर० -62/50110/ 86-87— अतः मुझे, आई० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें **269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० 72/1-6 है तथा जो कन्निग्याम रोड, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-5-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राम सौन्दरराजन, नं. 2, बुन्टन रोड, बेंगलूर-560025
(2) श्री एम. एस. शिवानन्दा, नं. 2, बुन्टन रोड, बेंगलूर
(3) श्री वि. नागराज, नं. 13/3, पामग्रीव रोड, आस्टिन टौन, बेंगलूर-560047
(4) श्री एस. अशोककुमार, नं. 13/3, पामग्रीव रोड, आस्टिन टौन, बेंगलूर-560047
(5) श्री एम. एस. मन्जुनाथा, नं. 2, बुन्टन रोड, बेंगलूर-560025
(6) श्री एम. एस. विजयकुमार अलियास एम. एस. विजया, नं. 2, बुन्टन रोड, बेंगलूर
(7) श्री आर. नागराज, नं. 101, ओल्ड मद्रास रोड, अल्सर, बेंगलूर-560008

(अन्तरक)

(2) मेसर्स स्कैलैन ऐंटरप्रसस यूनिट-II, I फ्लोर, सैंट-पयाट्रिक्स बिजिनेस कम्पलेक्स, म्यूनिसपल रोड, बंगलूर-560025।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 525 तारीख 27-6-1986)।

सब सम्पत्ति, जिसमें एक बिल्डिंग मेसरिंग 10,570 स्क्व० फट, और कम्पोसिट सैंट पुराना नं० 2, (नया नं० 72) कन्निग्याम रोड में है और अब जिसका नं० 72/1-6, कन्निग्याम रोड, (डेस्निनेटेट संपगिराम स्वामि टेंपल स्ट्रीट) कारपोरेशन डिवीजन नं० 44, बंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 25-11-1986
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर, 1986

निर्देश सं० अई-3/37जी/2799/83-84—अतः मुझ, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 294(पी), सब अरबन स्कीम नं० 3 एस० नं० 1594(पी), 5941/1, 2 और एक्स, चेंबूर, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-4-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके छद्यमान प्रतिफल से ऐसे छद्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री बुलयन्द एच० मनसुखानी।

(अन्तरक)

(2) चेंबूर ब्ल्यू डायमण्ड ब्यू को०-आप० हाउसिंग सोसाइटी लि०।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 294 (पी) सब अरबन स्कीम नं० 3, चेंबूर सिटी एस नं० 1594 (पी), 1594/1 और 2, चेंबूर, बम्बई।

अनुसूची जैसा कि विलेख सं० एस-833 और जो उप-रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा दिनांक 29-4-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 12-12-1986
मोहर :

प्रपत्र आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1986

निदेश सं० अई-4/37ईई/27617/84-85—अतः मुझे, लक्ष्मण दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 53-डी, गर्वनमेंट इण्डस्ट्रियल इस्टेट, कांदीवली, (प), बम्बई व उस पर बनी इमारत में स्थित है. (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 1-4-1986

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित के दस्तावेज में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत: उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) निर्मल प्लास्टिक इंडस्ट्रिज। (अन्तरक)

(2) द सुप्रीम इंडस्ट्रिज लि०। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

प्लाट नं० 53-डी, जो गर्वनमेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट, कांदीवली (प), बम्बई में स्थित है व उस पर बनी इमारत में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि बम्बई सं०अई-4/37ईई/27617/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-4 1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० अई-4/37ईई/27625/84-85— अतः मुझे, लक्ष्मण दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए-701 और ए-702, शांता अपार्टमेंट, प्लाट नं० 369, एल० पी० रोड कांदीवली (प), बम्बई 400067 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), और जिसका करारदामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। तारीख 1-4-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स स्प्रिन बिल्डर्स।
(अन्तरक)

(2) मेसर्स यश ट्रेडिंग एण्ड फाईनेन्स लि०।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ए-701 और 702-ए, शांता अपार्टमेंट, प्लाट नं 369 एस० वी० रोड, कांदीवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-4/37ईई/27625/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1986

निर्देश सं० अई–4/37ईई/27539/84–85—अतः मुझे, लक्ष्मण दास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन का हिस्सा विलेज एकसर, एस नं० 225, एच० नं० 16, 3, 15, 9 योगीनगर, बोरीवली, तालूका बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 1–4–1986

का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विजय के० सांवत (अन्तरक)

(2) श्री यू० एच० गांधी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा जो विलेज एकसर, एस० नं० 225, 16, 3, 15, 9, बोरीवली तालूका, बम्बई में स्थित है।

मैं अनुसूची जैसाकी क्र० सं० 4/37ईई/27539/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1–4–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–4, बम्बई

दिनांक: 10–12–1986
मोहर:

प्रकल्प आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1986

निर्देश सं० अई–4/37ईई/27648/85–86—अतः मुझे लक्ष्मण दास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बंगला नं० 1, बेनहर सुनिता पार्क, चंदावरकर लेन, बोरीवली (प), बम्बई 400092

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर

अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 1–4–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स के० पी० डेवलपर्स

(अन्तरक)

(2) मेसर्स आर० एल० मेटल कारपोरेशन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंगला नं० 1, जो तल मंजिल बेनहर सुनिता पार्क, चंदावरकर, लेन बोरीवली (प), बंबई 400092 में स्थित है

अनुसूची जैसा की क्र० सं० अई–4/37ईई/27648/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1–4–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–4, बम्बई

दिनांक : 10–12–1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस. .....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज--4, बम्बई
बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1986

निर्देश सं० अई-4/37ईई/27649/84-85-- यतः मुझे, लक्ष्मणदास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बंगली नं० 3 बेनहर, सुनिता पार्क, चंदावरकर वरकर लेन, बोरीवली (प), बम्बई-400092 (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन तारीख 1--4-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और

मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) मेसर्स के० पी० डेवहलपर्स
(अन्तरक)

(2) मेसर्स आर० एल० मेटल कार्पोरेशन
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति की अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंगला नं० 3 जो तल मंजिल बेनहर सुनिता पार्क चंदावरकर लेन, बोरीवली (प), बम्बई 400092 में स्थित है

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-4/37ईई/27649/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मणदास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज -4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1986

निर्देश सं० अई-4/37ईई/27478/85-86-- यतः मुझे, लक्ष्मणदास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बंगला नं० 5, डीवायन बंगलोज को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मंडपेश्वर रोड, बोरीवली (प), बम्बई 400013 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख, के अधीन तारीख 1-4-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंचम प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को; जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) एम० के० टंडन
(अन्तरक)

(2) एस० टी० सचनंदानी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंगला नं० 5, जो डीवायान बंगलो को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मंडपेश्वर रोड, बोरीवली (प) बम्बई 400103 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-4/37ईई/27478/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई, द्वारा दिनांक 1-4-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिटण)
अर्जन रेंज-, बम्बई

दिनांक: 10-12-1986
मोहर:

फाइल आई टी.एन.एस ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बईदिनांक 12 दिसम्बर 1986

निर्देश सं० आई०-4/37 ईई०/27553/84-85—अतः मुझे, लक्ष्मण दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी० टी० एस० नं० 1237, एस० नं० 59, हिस्सा नं० 2 (पार्ट), व उस पर बनी इमारत, दहीसर (पूर्व), बोरीवली तालुका, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है

तारीख 1 अप्रैल, 1986

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरुदास सवाजी देसाई और अन्य।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स चेतन कन्स्ट्रक्शन को०।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा जिसकी सी० टी० एस० नं० 1237, सर्वे नं० 59, हिस्सा नं० 2 (पार्ट), व उस पर बनी इमारत दहिसर (पूर्व), बोरीवली तालुका, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई-4/37 ईई०/27553/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी के बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1986
मोहर :

प्रकरण आई. टी. एस. एस. - - - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई०–4/37 ईई०/27616/85–86—अतः मुझे, लक्ष्मण दास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2, रेवेन्यू सर्वे नं० 161, हिस्सा नं० 2 (पार्ट), सी० टी० एस० नं० 2796, विलेज एकसर, बोरीवली (प०), बम्बई–400092 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है

तारीख 17 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि, यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सेबेस्टीना परेरा और श्री मीनिनो एम० रोड्रिक्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री गिलबर्ट लारेंस सीक्वेरा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2, जो रेवेन्यू सर्वे नं० 161, हिस्सा नं० 2 (पार्ट), सी० टी० एस० सर्वे नं० 2796, विलेज एकसर बोरीवली (पश्चिम), बम्बई–400092 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०–4/37 ईई०/27616/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 17–4–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–4, बम्बई

तारीख : 12–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2106/एसटी० [illegible]-3/कलकत्ता/86-87—अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 7 सी है तथा जो किरन शंकर राय रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), का निर्देशिकारी अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में अधिग्रहण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हकदमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उपाबद्ध प्रतिफल से ऐसे पश्चात् प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० नालगलिया फैमिली ट्रस्ट।

(अन्तरक)

(2) मै० [illegible] प्राइवेट लिमिटेड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में यह भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिखा जा सकेगा;

(ख) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आफिस स्पेस नम्बर 2 सी और 2 डी 2390 वर्ग फुट। प्रिमिसेस नम्बर 7 सी किरन शंकर राय रोड, कलकत्ता।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

तारीख : 9-12-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एस. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2405/एक्वी० रेंज–3/कलकत्ता/86–87—अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 119 बी है तथा जो मतिलाल नेहरू रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सक्षम होने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जसवन्त सिंह और अन्य।

(अन्तरक)

(2) मै० मल्टिराईस टावर्स प्राइवेट लिमिटेड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 22 कट्ठा 14 छटाक एवं 15 वर्ग फुट, प्रिमिसेस नम्बर 119–ए मतिलाल नेहरू रोड, कलकत्ता।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

तारीख : 9–12–1986

मोहर ⊠

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 के 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2404/एक्वी० रेंज–3/कलकत्ता/86–87—

अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 38 है तथा जो मनिन दारा रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० दुटिनो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। (अन्तरक)

(2) श्री शत्रुघ्न कांत आचार्य। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त वक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1—एक तल्ला का पर, 1200 वर्गफुट एवं प्लाट, नम्बर 102 दो तल्ला का पर, प्रिमिसेस नम्बर 38, नतिन दारा रोड, कलकत्ता।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

तारीख : 9–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2403/एवीए० रेंज—3/कलकत्ता/86—87—

अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 36/1 है तथा जो गाऊयण्ड पार्क, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24 अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई है और ऐसा विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए उपचित किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राहुल देव बर्मन ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सरला टोडला एवं अन्य ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रिमिसेस सं० 36/1, गाऊयण्ड पार्क, कलकत्ता जमीन 5 कट्ठा 23 वर्ग फुट, स० रए० कलकत्ता के पास, 24-4-86 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ ।

बही सं० I—5011 ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—3, कलकत्ता

तारीख : 9-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2402/एर्ज० रेंज-3/कलकत्ता/86-87—अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम 19[illegible] (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 25 है तथा जो बालिगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, स० र० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रदीप कुमार खैतान एवं अन्य।

(अन्तरक)

(2) श्री शांति प्रकाश गोयनका एवं अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—304.4 5/6 स्क्वेयर मीटर्स प्रिमिसेस नम्बर 25, बालिगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता।

दलील सं० I-6079 दिनांक 29-4-86।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

तारीख : 9-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2401/एक्वी० रेंज–3/कलकत्ता/86–87—

अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 23 है तथा और जो मेडेमिला गार्डन्स, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० सारोगी जुट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड। (अन्तरक)

(2) मै० हरकचन्द सारोगी एण्ड कम्पनी प्रा० लिमिटेड। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रिमिसेस नम्बर 23 मेडेमिला गार्डन्स कलकत्ता।

सक्षम प्राधिकारी के पास 16–4–1986 तारीख में रजिस्टर्ड हुआ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

तारीख : 9–12–1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2400/एक्वी० रेंज-3/कलकत्ता/86-87—अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 32 है तथा जो राजा बसन्त राय रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब:, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अर्चना राय।

(अन्तरक)

(2) श्री बी० र० भण्डारी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पक्का दो तल्ला बाड़ी—जमीन 2 कट्ठा 6 छटाक 40 वर्ग फुट। प्रिमिसेस नं० 32, राजा बसन्त राय रोड, कलकत्ता।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

तारीख : 9-12-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. 69. .....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2399/एक्वी० रेंज–3/कलकत्ता/86–87—अतः मुझ, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 25–ए है तथा जो सरत बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर [illegible] के दायित्व से [illegible] के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, [illegible] के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के संबंध में लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० एल० के० प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। (अन्तरक)

(2) श्रीमती निर्मला एम० कटारिया। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के गजट में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या [illegible] सूचना की तामील से 30 दिन [illegible] अवधि बाद में समाप्त होती हुई, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित नहीं हैं।

अनुसूची

प्लाट नं० बी तीन तल्ला प्रिमिसेस नं० 25–ए, सरत बोस रोड, कलकत्ता।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

तारीख : 9–12–1986
मोहर :

प्रपत्र आई.टी.एल.एच.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 19

निदेश सं. 2398/एक्वी० एरेंज–3/कलकत्ता—अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० 25 है तथा जो मेडेमिला गोडस, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूपसे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं० प्रोबदन मित्र ।

(अन्तरक)

(2) मैं० अरविन्द टावर्स प्राइवेट लिमिटेड ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो तल्ला बिल्डिंग, जमीन 1 बीघा 3 छटाक एवं 34 वर्ग फुट । प्रिमिसेस नम्बर 25, मेडेमिला गोडस रोडस, कलकत्ता ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

तारीख : 9–12–1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2397/एक्वी० रेंज–3/85–86—अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 11/3–ए है तथा जो अलु बालीगंज से केंड लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री देवराज मुखर्जी एवं अन्य। (अन्तरक)

(2) मै० अनुसंघ कन्स्ट्रक्शन एवं इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रिमिसेस नं० 11/3–ए, अलु बालीगंज से केंड लेन, कलकत्ता एरिया 14 कट्ठा 13 छटाक सक्षम प्राधिकारी के पास 16–4–1986 तारीख में रजिस्टर्ड हुआ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

तारीख : 9–12–1986
मोहर :

प्रकरण आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, क 9 सितम्बर 198 6

निदेश सं० 2396/एक्वी० रेंज–3/कलकत्ता/अतः मुझे, आई० के० गायेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी स० 17 है तथा जो लाला लाजपत राय सरनि, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० यूनाइटेड चार्च आफ नार्दन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

(2) श्री काली चरन अग्रवाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रिमिसेस नं० 17 लाला लाजपत सरण कलकत्ता जमीन 7 काठा 3 छटाक सक्षम प्राधिकारी के पास 16-4-86 तारीख में रजिस्टर्ड हुआ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

तारीख : 9-12-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एच.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 1986

निदेश सं० ए० पी./रेंज/कल/1986-87—अतः मुझे, आई० के० गायेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1 है तथा जो एलेनि रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-4-86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मालिकन बिलडर्स लिमिटेड (अन्तरक)

(2) श्री महेश कुमार शर्मा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3270 वर्गफुट प्रिमायसेस नम्बर-1, एलम्बि रोड, कलियाना निनतला, सक्षम प्राधिकारी के पास 16-4-86 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

तारीख : 9-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ...

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश ० सं० ए० सी०/रेंज–4 कल/1986—अतः मुझे आई० के० गायेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो डी डी न० 1–5688/86 अप्रैल 86 के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री रणधीर पाल चौधरी (अन्तरक)

(2) श्रीमती सगीता मित्तल एंव अन्यान्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति जो डीड न० 1–5688/86 के अनुसार अप्रैल 86 में कलकत्ता रजिस्ट्रेशन आफिस में रजिस्ट्री हुआ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2, कलकत्ता

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निर्देश सं० ए० सी० 59/एक्यू/रेंज2/कल/1986-87—अतः मुझे, आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 10 है तथा जो बर्द्धमान रोड कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय स० र० ए० कलिकता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29-4-1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) धौधुरिस स्टेट प्राईवेट लिमिटेड। (अन्तरक)

(2) ऐलेननबारि प्रापर्टीज लिमिटेड। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 2502 काठा निनतला बाडी, प्रिमायसेस बाजार 10 वर्धमान रोड कलिकाना, दडिल संश्री-I 6113 दिनांक 29-4-1986

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-2, कलकत्ता

तारीख. 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० ए० सी० रेंज-2/कल/86-87—अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 99बी, सी० डी और ई है तथा जो सर्कुलर गार्डन रिच रोड कलकता पर स्थित है। और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 7-4-1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एवं दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) इत्यादि प्रकाशनी लि०
(अन्तरक)

(2) श्याम्भु कन्स्ट्रकशन प्रा० लि०।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

99 बी० सी० डी० ई सर्कुलर गार्डन रिच रोड कलकता पर दलील 37ईई/203/आर-2/सी ए एल/85-86 ता० 7-4-1986 के अनुसार 28 क 6 छ० 30व० फ० जमीन स्थित है।

आई० के० गायन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-2 कलकत्ता

तारीख: 11-12-1986
मोहर:

प्रारूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2 कलकत्ता

कलकत्ता दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० ए० सी०–61/आर०–2/कलकत्ता/86–87

अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 19 बी है तथा जो अलिपुर रोड कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित) है और रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम अधिकारी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908) का 16 के अधीन 21–4–86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के इक्कीस प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने की सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सुभाष प्रापर्टीस (अन्तरक)

(2) कौशल्या देवी जैन एवं अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

19 बी, अलिपुर रोड कलकता 26 पर दलील नं० 37ईई/आर–2/215/ कलकत्ता/85–86 ता० 21–4–86 के अनुसार 2637 व० फु० 5 वीं मंजिल फलैट नं० 5 ए एंव 5 सी स्थित है।

आई के गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2, कलकत्ता

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

[illegible]

अर्जन रेंज-2, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० एफ० सी-62/आर-2/कलकत्ता/86-87—आ०: मुझे आई० के० गायेन

आयकर [illegible] इसके पश्चात् [illegible] धारा 269-ख की अधीन [illegible] विक्रयार्थ करने का कारण है कि [illegible] विक्रय मूल्य 1,00,000/- [illegible] से अधिक है

और जिसका सं० [illegible] बालीगंज साउथ रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इसके [illegible] अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय भवन प्राधिकारी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908-1908 का 16) के अधीन तारीख 7-4-1986 [illegible] प्रतिफल के लिए अन्तरित की [illegible] करने का कारण है कि [illegible] मूल्य, [illegible] पन्द्रह प्रतिशत से [illegible] और अन्तरक (अन्तरणी) और अन्तरिती (अन्तरिती) [illegible] गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक, [illegible]

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 27) के प्रयोजनार्थ [illegible] नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) [illegible]

(अन्तरक)

(1) श्री [illegible] और अन्य

(अन्तरिती)

[illegible] सूचना जारी करने [illegible] :—

[illegible]

सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी [illegible]

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 [illegible] किसी व्यक्ति को [illegible] अधिकारी के पास [illegible]

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

[illegible] बालीगंज साउथ रोड, कलकत्ता पर 2200 व० फु० 2 मंजिल घर दलील सं० 37ई/199/आर-2/कलकत्ता/85-86 दिनांक 7486 के अनुसार स्थित है।

आई० के० गायेन
सहायक आयकर आयुक्त
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, कलकत्ता

तारीख: 11-12-1986
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० सीए० 183/86–87/1263/आई०ए०सी०/एकयू० आर०–I/कल०—अतः मुझे आई० के० गायेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 5, है तथा जो 35 स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है (रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी सहायक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 3–4–85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन, कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती तुहिनका चटर्जी एंव अन्यायन्य (अन्तरक)

(2) आजिमगंज इस्टेट (प्रा०) लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5, 55 स्ट्रीट, कलकत्ता में अवस्थित सम्पति 1 बधा 19 काठा 10 छिटांक 35 वर्गफिट (जो सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज–1, कलकत्ता के पास सिरियल नं० सि० ए० 183 के अनुसार 3–4–86 में रजिस्टर हुआ ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1,

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

[एफ. आई. सी. एफ. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ई/4–86/2911—

अतः मुझे श्री आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 1415, देविका टावर, 6, नेहरु पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिनियम के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितो (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मेसर्स प्रगति कन्सट्रक्शन (देविका टावर) चौथा खंड, शीतला हाउस, 73–74, नेहरु पलेस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोड दिल्ली प्रा० लि० हेड आफिस 707–712, चिरंजीव टावर, 43, नेहरु पलेस नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लट नं० 1415, देविका टावर, 6 नेहरू पलेस नई दिल्ली, एरिया 500वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 25–11–1986
मोहर :

प्रकप आई. टी. एस. ---

[illegible] की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त [illegible]

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० [illegible] सी०/एक्यू/1/4–86/37डी/29/2—

अतः मुझे श्री आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) [illegible] इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जो की सं० है तथा जो फ्लैट सं० 1416 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूरी तरह से वर्णित है) [illegible] के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज रेंज–1 नई [illegible] में [illegible] अधिनियम 1961 के अधीन [illegible] है

का प्रतिफल सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम है [illegible] प्रतिफल के [illegible] करने का आशय है कि [illegible] उचित बाजार मूल्य, उसके [illegible] में, [illegible] वह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक [illegible] (अंतारितियों) के बीच उक्त अंतरण के लिए [illegible] प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को आयकर, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने की सुविधा के लिए; और/या

(ख) [illegible] को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम [illegible] के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रसोल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, चौथा खंड, शीतला हाउस, 73–74, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स बायर [illegible] दिल्ली प्रा० लि०, हेड आफिस 707–712, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए [illegible] करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में दिए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

फ्लैट नं० 1416, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 1 क्षेत्र 440 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 25–11–1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० टी० ए० सी०/एक्यू/1/37ई/4–86/2913

अतः मुझे श्री आर० पी० राजेश आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जो फ्लैट नं० 1417 है तथा जो देविका टावर, 6 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति की उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्त प्रयोजनों के लिए, पूरा दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, चौथा खंड शीतला हाउस, 73–74, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोड दिल्ली प्रा० लि०, हेड आफिस 707–712ए, चिरंजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1417, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली तादादी 560 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख: 25–11–1986
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर, 2986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/4-86/2914—

अतः मुझे श्री आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फलैट नं० 1417, देविका टावर, 6 नेहरु पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्सट्रक्शन कम्पनी, चौथा खंड शीतला हाउस, 73–74 नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स बायर कोड प्र० लि० हाउस नं० 707–712ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फलैट नं० 1418, देविका टावर, 6, नेहरु पलेस, नई दिल्ली एरिया 325 वर्ग फीट।

आर० पी० राजश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 25–11–1986
मोहर :

प्रकल्प आई.डी.एम.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर, 1986

निर्देश सं० आई० ए०सी०/एक्यू/1/37ईई/4–86/2915—

अतः मुझे आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फलैट नं० 1414 देविका टावर, 6 नेहरू पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (देविका टावर) चौथा खंड, शीतला हाउस, 73–74, नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोड दिल्ली प्रा० लि० हेड आफिस 707–712 ए, चिरनजीव टावर, 45, नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फलैट नं० 1414, देविका टावर, 6 नेहरु पलेस, नई दिल्ली, क्षेत्र 500 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 25–11–1986

मोहर :

प्रकाश आई० डी० एल० ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ/1/37ईई/4–86/2916—अतः मुझे, श्री आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1422, है तथा जो देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी चौथा खंड सीनियर लाइन, देविका टावर, 73-74, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) वायर बोर्ड दिल्ली प्रा० लि० हेड आफिस 707–712 ए, चिरंजीव टावर, 43 नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह पूर्वोक्त बातों करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1412, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली क्षेत्र 350 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 25–11–1986
मोहर :

प्रकाश भाई. डी एच. एफ.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ई/4–86/2917—अतः मुझे श्री आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट न० 1423, देविका टावर, 6 नेहरू पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय ,सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार **मूल्य उसके प्रतिफल से, ऐसे प्रतिफल का** पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती **(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख** में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के **दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा** के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्सट्रक्शन कम्पनी, चौथा खंड शीतला हाउस, देविका टावर 73–74, नेहरू पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोड दिल्ली प्रा० लि० हेड आफिस 707–712 ए, चिरंजीव टावर 43, नेहरू पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1423, देविका टावर, 6 नेहरू पलेस, नई दिल्ली तादादी 385 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख :25–11–1986

मोहर :

फा० नं० टी. एन. एस. . . .

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/4-86/2918–

अतः मुझे आर० पी० राजेश आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1501 ए और 1501 बी, है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरु पलेस नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन तारीख अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्सट्रकशन कम्पनी, देविका टावर, चौथा खंड, शीतला हाउस, 73–74, नेहरू पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) लाना पब्लिशिंग कम्पनी प्रा० लि० सातवां खंड ग्राड बाजार, शहीद भगत सिंह रोड, कोलाबा, बम्बई-400039।

अन्तरिती

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1501 ए-1501 बी, देविका टावर, 6 नेहरु पलेस, नई दिल्ली 1 क्षेत्रफल 945 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 4–9–1986
मोहर :

इकम बार्ड. टी० एन० दुब

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ई/4-86/2925–

अतः मुझे श्री आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1419, है तथा जो देविका टावर, 6 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और वह अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्सट्रकशन कम्पनी (देविका टावर) चौथा खंड शीतला हाउस, 73–74, नेहरु प्लेस नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोड दिल्ली प्रा० लि०, हेड आफिस 707–712 ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वह अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1419, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली। क्षेत्र 325 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 25–11–1986
मोहर :

प्रकल्प आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/4–86/2926–

अतः मुझे, श्री आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1420 है तथा जो देविका टावर 6, नेहरु पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, जो दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी देविका टावर चौथा खंड शीतला हाउस, 73–74, नेहरु पलेस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) मैसर्स बायर कोड दिल्ली प्रा० लि०, 607-712ए, विरनजीव टावर 43, नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1420, देविका टावर 6, नेहरु पलेस, नई दिल्ली। तादादी 560 वर्ग फीट

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 25–11–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. 64.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/4-86/2927

अतः मुझे श्री आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1421, है तथा जो 6, नेहरु पलेस नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय में सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्सट्रैक्शन कम्पनी (देविका टावर) चौथा खंड, शीतला हाउस 73–74, नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोड प्रा० लि० हेड आफिस 707–712ए, चिरंजीव टावर, 43, नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1421, देविका टावर, 6 नेहरु पलेस, नई दिल्ली, क्षेत्र 370 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 25–11–1986
मोहर :

प्रकल्प आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 26 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/4-86/2928

अतः मुझे श्री आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1409, है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्सट्रकशन कम्पनी (देविका टावर) चौथा खंड शीतला हाउस 73-74, नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स आयर कोड दिल्ली प्रा० लि०, हेड आफिस नं० 707-712ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरू-प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 1409, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० 1/37ईई/4-86/2929—अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक है

और जिसकी स० फ्लेट नं० 1411 है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी देविका टावर, 4था खण्ड, शीतला हाउस, 73-74 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोड दिल्ली प्रा० लि०, हैड आफिस, 707-712-ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है :—

अनुसूची

फ्लेट नं० 1410, देविका टावर 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली। क्षेत्र 500 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /1/37ईई/4-86/2930—

अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 1411 है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन,

तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (देविका टावर), ब । खंड, शीतला हाउस, 73-74, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) मेसर्स बायर कोड दिल्ली प्रा० लि०, हैड आफिस, 707-712ए, चिरंजीव टावर, 42, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 1411, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली; क्षेत्र 465 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

[illegible] अधि. सं. [illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 [illegible] के अधीन सूचना

[illegible]

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० 1/37ई/4-86/2931—अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),, की धारा 269 [illegible] के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि [illegible] 1,00,000 रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट सं० 1412 है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और सक्षम [illegible] यह विश्वास करने का कारण है कि [illegible] उचित बाजार मूल्य, [illegible] पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच [illegible] अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित [illegible] में [illegible] है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को आयकर, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी कर [illegible] के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) [illegible] चौधरी [illegible], नीलकंठ हाउस, [illegible], नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) [illegible] कोर दिल्ली [illegible], हैड आफिस, 707-712 [illegible] टावर 43, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी [illegible] व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भीतर [illegible] में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, [illegible] के लिए [illegible] किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० 1412, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली। क्षेत्र 550 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० 1/37ईई/4-86/2932—अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट नं० 1413 है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से उसके दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी देविका टावर, चौथा खण्ड, शीतला हाउस, 73-74, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोंड दिल्ली प्रा० लि०, हैड आफिस, 707-712ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 1413, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली : क्षेत्रफल 465 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

प्रकप. बाई. टी. एम. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /1/37ईई/4-86/29-39—अतः मझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम ,1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 913 है तथा जो इन्टरनेशनल ट्रेड-टावर, नेहरु प्लेस, होटल्स, लि० नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) बी० एस० संधू एण्ड एसोसिएट्स प्रा० लि०, 16, कम्युनिटी सेंटर, 3 फ्लोर, ईस्ट आफ कैलाश, नई-दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) जरीन भसीन पत्नि आर० के० भसीन, पुत्र आर० के० भसीन और मास्टर अजुन भसीन सुपुत्र अण्डर गार्डनशिप श्री आर० के० भसीन निवासी—32, हेमकुंड, कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 913, इन्टरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरु प्लेस, होटल्स लि० नई दिल्ली। फ्लेट एरिया 726 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 4-9-1986
मोहर :

फरूप आई० ई० एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /1/37ईई/4-86/2996—अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है [illegible] अचल सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य [illegible] 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1407 है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), आयकर प्राधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख [illegible], 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है [illegible]

पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती [illegible] प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/अथवा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को विदेशी भारतीय [illegible] (1973 का 46) या उक्त अधिनियम, या [illegible] प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा उद्घाटित नहीं किया [illegible] या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 4था खण्ड, शीतला हाउस, 73-74, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स धायर कोड दिल्ली प्रा० लि०, हैड आफिस, 707-712-ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना द्वारा उक्त प्रत्यक्षित सम्पत्ति को अर्जन के लिए प्रस्तावित करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त [illegible]

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1407, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली क्षेत्र 560 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, [illegible]
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /[illegible] 1/37ई/4-86 /2997—अतः मुझे, आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 [illegible] (1961 का 43) [illegible] इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को [illegible] 1,60,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1408 है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (जो इस में पश्चात् अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी के कार्यालय, में सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है [illegible] कारण है इस पश्चात्वर्ती सम्पत्ति की लिखत बाजार मूल्य, उसके समापन दिनांक से, पूर्ण समापन प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (वितरक) और अन्तरिती (वितरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से इस लिखत की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; अथवा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का [illegible]) [illegible] धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के [illegible] या या किया जाना है छिपाने या, [illegible] के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 4 था खण्ड, शीतला हाउस, 73-74, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स वायर कोड दिल्ली प्रा० लि०, हैड आफिस, 707-712-ए, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के [illegible] में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इस अधिनियम में [illegible] है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1408, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। क्षेत्र 440 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर, 1986

आई० ए० सी० /एक्यू० /1/37ईई/4-86-2998/

अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 1406 है तथा जो देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 4था खण्ड, शीताल हाउस, (देविका टावर), 73-74, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर फंड दिल्ली प्रा० लि०, हैड आफिस, 707-712-ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 1406, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/4-86/2999

अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट न० 1405, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **क्रयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्रयमान प्रतिफल से, ऐसे क्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुए किसी लाभ की बाबत, उक्त **अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स प्रगति कन्सट्रकशन, कम्पनी चौथा खंड, शीतला हाउस, देविका टावर, 73–74, नेहरु पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोंड दिल्ली प्रा० लि० हेड आफिस 707–712ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरु पलेस नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध **किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1405, देविका टावर 6, नेहरु पलेस नई दिल्ली क्षेत्रफल 325 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 26–11–1986
मोहर :

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
[illegible] के अधीन [illegible]

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ई/4-86/3000

अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 1404, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के कथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके कथमान प्रतिफल से, ऐसे कथमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन का [illegible] को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या [illegible] अधिनियम, 1957 (1957 का 27) [illegible] द्वारा प्रकट नहीं [illegible] गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) [illegible] कम्पनी देविका टावर चौथा खंड, पोस्टल हाउस, 73-74, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स [illegible] फंड दिल्ली प्रा० लि० हेड आफिस 707-712ए, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

[illegible] के लिए [illegible]

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर [illegible] की अवधि, जो भी [illegible] के भीतर पूर्वोक्त [illegible] दिल्ली [illegible]

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

[illegible] शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1404, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—1, नई दिल्ली

तारीख : 26—11—1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/4-86/3001—

अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 1403, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, चौथा खंड, शीतला हाउस, 73–74, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कीड दिल्ली प्रा० लि०, हेड आफिस, 707–712ए, चिरंजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1403, देविका टावर 6, नेहरु प्लेस नई दिल्ली क्षेत्र 370 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 26–11–1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 के 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/137ईई/4–86/3002

अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 1401, देविका टावर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप , वर्णित है)आयकर अधिनियम के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) प्रगति कन्सट्रकशन कम्पनी, चौथा खंड, शीतल हाउस, देविका टावर, 73–74, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स वायर कोंड दिल्ली प्रा० लि०, 707–712 ए, चिरनजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1401, देविका टावर, 6 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली, क्षेत्र 460 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 26–11–1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एस.एल.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/4-86/3003:—

अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है और जिसकी संख्या है तथा जो फ्लैट नं० 1402, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आयकर अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. प्रगति कंस्ट्रक्शन कम्पनी
चौथा खण्ड शीतला हाउस, (देविका टावर)
73-74, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मैसर्स वायर कोड दिल्ली प्रा० लिमि०
हैड आफिस 706-712 ए, चिरनजीव टावर,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1504, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली क्षेत्र 400 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज:1 नई दिल्ली

दिनांक : 26-11-1986
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एक० एक०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 1986

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/4–86/3019:—

अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो जी० एफ-2 बिल्डिंग नं० 53–54, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राज वर्मा,
2. श्री राकेश वर्मा,
3. रीता वर्मा,

मिसेस वीना वर्मा निवासी ए 342, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री सुनील श्याम और मिसेस सुशीला श्याल निवासी 27.., ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप फ्लैट नं० जी० एफ 2, तादादी 612 वर्ग फीट बिल्डिंग नं० 53–54 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 4–9–1986
मोहर :

प्रकल्प आई. डी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

स० आई० ए० सी०/डब्ल्यू०/1/37ईई/4-86/3037:—
अतः मुझे, आर० पी० राजेश,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी संख्या है तथा जो फ्लैट नं० 421, 370 वर्ग फीट, चौथा खण्ड देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण), अर्जन रेंज 1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 अधीन, तारीख अप्रैल, 1986
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सी० एन० ए० पीजे एक्सपोर्ट प्रा० लिमि०;
   227, ओखला इण्डस्ट्रियल, एस्टेट,
   फेस-3, नई दिल्ली।
   (अन्तरक)
2. एक्लव्या होल्डिंग प्रा० लिमि०,
   107, अग्रवाल हाउस,
   35-36, नेहरू प्लेस,
   नई दिल्ली।
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण .—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 421, तादादी 370 वर्ग फीट चौथा खण्ड, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण);
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

अध्याय बाईस.टी.एच.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

सं० आई० ए० सी०/डब्ल्यू०/1/37ईई/4-86/3038:—
आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी संख्या है तथा जो फ्लैट नं० 423, 385 वर्ग फीट चौथा खण्ड, देविका टावर, 6, नेहरू पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी के कार्यालय सहायक आयुक्त निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल 1986
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सी० एन० ए० पी० जे० एक्सपोर्ट प्रो० लिमिटेड, 227, ओखला इण्डस्ट्रियल इस्टेट, फेस-3, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मैसर्स एकल्वा होल्डिंग प्रा० लिमिटेड, 107, अग्रवाल हाउस, 35-36, नेहरू पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 423, तादादी 385 वर्ग फीट, चौथा खण्ड, देविका टावर, 6, नेहरू पलेस, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 1, नई दिल्ली

तारीख : 26-11-1986
मोहर :

प्रथम खण्ड - दो, एक, पक्ष :—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986
सं० आई० ए० सी० डब्ल्यू०/7/37ईई/4-86/545—

अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्रापर्टी के 34 सी कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके छयमान प्रतिफल से, ऐसे छयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती आज्ञावती पत्नी बलदेव नाथ द्वारा एटोरनी श्री सतीश सेठ सुपुत्र आर० सी० सेठ जी-1/16, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती गीता गोपाला कृष्ण पत्नी श्री एम० जी० के० पिल्लै निवासी-बी-2, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम खण्ड का भाग प्रापर्टी नं० के-34 सी, तादादी 373 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।

वी के० मंगोत्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, दिल्ली

दिनांक : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/583:—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो दूसरा खण्ड प्रापर्टी एम-66, तादाद 196 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-1 मार्किट नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यभान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यभान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यभान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भूषन कुमार उप्पल सुपुत्र
डी-73, पंचशील एंकलेव,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मास्टर अनुराग अग्रवाल द्वारा
पिता राम प्रकाश अग्रवाल और
मिसेस नेती अग्रवाल पत्नी विनय अग्रवाल
द्वारा प्रकाश कोल्ड स्टोरेज बदायूं (यू० पी०)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दूसरा खण्ड प्रापर्टी नं० एम-65, तादादी 196 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-7, दिल्ली

दिनांक : 11-12-1986

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

सं० आई० उए० सी०/एक्यू/7/एस० आर-3/4-86/529-अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्रापर्टी नं० एम-36, ग्रेटर कैलाश-2, मार्किट, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मैसर्स माल्हन बिल्डिरस
ई-588, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मैसर्स कनिका एक्सपोर्टस
द्वारा समिति स्वर्ण सेठिया
पत्नी कमांडर पी० पी० सेठिया
एम-220, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ-36, ग्रेटर कैलाश-2, मार्किट, नई दिल्ली कुल प्लाट क्षेत्र 195 वर्ग गज।

वी० के० मंगोत्रा,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज-7, दिल्ली

दिनांक : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/7/एस आर-3/4-86/582:-

अतः मुझे, वी० के० गंगोत्री,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्रापर्टी नं० एम-66, ग्रेटर कैलाश-1, मार्किट, नई दिल्ली 196 वर्ग गज है तथा जो प्रापर्टी नं० एम:66, ग्रेटर कैलाश-1, मार्किट, नई दिल्ली 196 वर्ग गज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भूषन उप्पल सुपुत्र स्वर्गीय मुल्क राज उप्पल डी-64, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. राम प्रकाश अग्रवाल बिगेर (एच० यू० एफ०) द्वारा प्रकाश कोल्ड स्टोरेज, बदायू यू० पी०। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम खण्ड प्रापर्टी एम-66, तादादी 196 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश भाग-1 मार्किट नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्री,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986

मोहर :

प्रकल्प आई. टी. एम. एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०डब्ल्यू०/7/एस० आर-3/4-86/539—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या है तथा जो मकान नं० सी०-106, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगमोहन सिंह विथल,
सी०-106, ग्रेट कैलाश-1, नई दिल्ली
(अन्तरक)

2. श्री विनोद खुराना और
मिसेस अर्चना सलुजा
12/5, डब्ल्यू० ई० ए, करोल बाग,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

इस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिल मकान नं० सी०-106, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048-300 वर्ग गज।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

दिनांक : 11-12-1986
मोहर :

प्रकरण सं० टी० एन० एच०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/डब्ल्यू०/7/एस आर–3/4–86/553—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्रथम खंड, रियर भाग प्रापर्टी नं० के–34सी तादादी 373 वर्ग गज है तथा कैलाश कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल, 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यक्षमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यक्षमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यक्षमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया **या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती आज्ञावती पत्नी बलदेव नाथ द्वारा जनरल एटोरनी सतीश सेठ जी–1/16, दरिया गंज, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मिसेस गीता गोपाला कृष्णन पत्नी एम० के० जी० पिल्लै वी–2, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में आपेक्ष की अपेक्षा :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम खण्ड रियर पोरशन प्रापर्टी नं० के० 34 सी तादादी 373 वर्ग गज 1 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली

वी० के० मंगोत्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू 7/एस आर०-3/4-86/530—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या है तथा जो प्रापर्टी नं० एस-244, ग्रैटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल, 1986 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री देव दत्त शर्मा,
सुपुत्र स्वर्गीय पंडित दौलत राम
निवासी 22 जी, पाकिट के,
शेख सराय फेस-2, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुनीता कुमार
पत्नी अश्वनी कुमार
निवासी एस०-172, ग्रैटर कैलाश-1,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरातल खण्ड और बेसमेंट प्रापर्टी नं० एस-244, तादादी 300 वर्ग गज ग्रैटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।

वी० के० मंगोत्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

[illegible]

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं आई ए० सी०/एक्यू०/7/एस आर–3/4–86/536:—

अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो सी–11 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यक्षतः प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यक्षतः प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यक्षतः प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक मूल्य से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कर्नल रिटायर्ड आर० डी० आडवाणी,
   सुपुत्र डी० जी० आडवाणी
   सी–11, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. श्रीमती गुरजीत कौर पत्नी
   इकबाल सिंह, श्री इकबाल सिंह
   सुपुत्र केशर सिंह
   डी–14/16, माडल टाउन,
   दिल्ली।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिल प्रापर्टी नं० सी–11, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली। तादादी 325 वर्ग गज

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986

मोहर :

प्रपत्र आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू/7/एस० आर०–3/4-86/537—अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो प्रापर्टी नं० सी–59, डिफेंस कालोनी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) गंगा सिंह सुपुत्र स्वर्गीय नरपत सिंह, बी–27, कैलाश कालोनी नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) खुशीराम सहगल सुपुत्र स्वर्गीय महीन राम सहगल, निवासी सी–59, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० सी–59, तादादी 325 वर्ग गज डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्रकाश आर. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/एस आर०–3/4-86/527—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो प्रापर्टी नं० बी–223 ए, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० टी० के० नन्दी पुत्र टी० पी० नन्दी, निवासी–223ए, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री आर० एल धूपर सपुत्र फतेहचन्द, धरातल खंड, B-223ए, ग्रेटर कैलाश–I नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पूर्ण धरातल खंड साथ में चपरासी मकान प्रापर्टी बियरिंग नं०–223ए, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–1, तादादी 1500 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जनरेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्रकरण बाई. टी. एप. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/एस० आर०-3/4-86/532—अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो प्रापर्टी नं० एस०-244, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवभाग प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित सद्भावेय के उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) देवदत्त शर्मा, 22-जी, पार्किट के शेख सराय फेस-2, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री एस० नी० मामक, एच० एस० मामक डी० डी०-33ए, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दूसरा खंड एस-244, ग्रेटर कैलाश-2, क्षेत्र 300 वर्ग गज 1515 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा) 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ई/एस० आर० 3/4-86/533—अतः मुझे श्री बी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो प्रापर्टी नं० एस-171 ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर) अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अमर नागरथ सुपुत्र रणजीत नागरथ द्वारा जनरल एटोरनी श्री सतीश सेठ सुपुत्र आर० सी० सेठ, निवासी जी–1/16, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली।

2. मिस्टर कृष्ण तनेजा सुपुत्र राम लुभाया निवासी ए–22, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली (अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दूसरा खंड प्रापर्टी नं० एस–171, तादादी 298 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली।

बी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्रकल्प आई.टी.एस.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश पारित

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/एस० आर०–3/4-86/531—अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो प्रापर्टी नं० एस-254, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यक्षमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यक्षमान प्रतिफल से ऐसे प्रत्यक्षमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) देवदत्त शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय प० दौलत राम, 22 जी, पाकिट के०, शेख सराय फेस–2, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) मिसज मधु गुजराल पत्नी राजिन्दरसिंह, ए–15/17 वंसल विहार, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्स्थानी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम खंड प्रापर्टी नं० उस–244, तादादी 300 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/एस आर-3/4-86/528—अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 13 के है तथा जो कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। तारीख 3-11-1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) वी गुर्बिया (पंजीकृत), 3ए/8सी, डब्लयू ए, करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरजीत सिंह जोहर, सुपुत्र ए एस जोहर सी-170, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

के-13, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली (एक मंजिल)

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख 11-12-86
मोहर :

प्रकल्प आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/एस आर-8/4-86/535—अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो एस–254, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूरा रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) भाटिया अपार्टमेंट प्रा० लि०, ए-18, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सुभाष बासाला (एच यू एफ), एस–264, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कम्पलीट ग्राउंड फ्लोर 3 बैड रूम, 3 बाथरूम डाईंग डाईनिंग, किचन, सामने का लान सैन्ट्रल कोर्ट यार्ड एक चपरासी मकान स्टोर, कार पार्किंग बेसमेंट के अन्दर साथ बाथरूम 1/4 अभिभाज्य भाग मूल क्षेत्र 299 वर्ग गज।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० अई० ए० सी०/एक्यू०VII एस० आर०/4-86 526 मुझे, वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो मकान नं० 187, ब्लाक एम, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वी० एच० राम, एम–187, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

(2) मैसर्स चांद अपार्टमेंट प्रा० लि०, ई० -124 ग्रेटर कैलाश-II नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पार्टली कन्स्ट्रक्टिड हाउस नं० 187, ब्लाक एम० 400 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

[रूप आई.टी.एन.एच.]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ई/4-86/1830

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)., की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से **अधिक है**

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 206, 4, भीमकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की अवधान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवधान प्रतिफल से, ऐसे अवधान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की चोरी, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रेफको प्रा पट्रीस एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन एस एंड पी आफिस 232, शास्त्री नगर, जम्मू (जे एंड के)

(अन्तरक)

(2) मेसर्स आई० आर० टेक्नीलजी सर्विस प्रा० लि० बी-8, कामर्स सेंटर, तरदयो रोड, बम्बई–34

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो,** के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 206, दूसरा खंड 4, भीमकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली, तादादी 610 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्रकल्प आई.डी.एम.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/5-86/1828

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 401, 6, भीमकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० एल० साबू, गोबिन्द मेंशन आप० एस० आई० सी० बिल्डिंग, अंसोल बैस्टबंगाल। (अन्तरक)

(2) सीताराम भारतीय इन्सटीटयूट आफ साइंटिफिक रिसर्च 1181, नई दिल्ली27, बाराखम्बा रोड नई दिल्ली :

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी अक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 401, तादादी वर्ग फीट कन्सट्रकशन बिल्डिंग नं० 6, भीमकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख: 11-12-86
मोहर :

प्रकरण आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ई/4-86/1767/

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० बी–212, भीमकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज 4, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्यूनिटी सेन्टर, इस्ट आफ कैलाश–1, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(1) मिसेज ललिता दत्त, सी–22, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी-2212 दूसरा खंड 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली लगभग क्षेत्र 640 वर्ग फीट।

वी० के मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986

मोहर :

इकम टाई, डी. एच. एच

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/37ईई/4-86/1766

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 00,000/- रु से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० बी–217, 5, भीकाजी कामा पलेस नई दिल्ली में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार [illegible] में प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया [illegible] अन्तरण विलेख में उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) भी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन अन्तरिती द्वारा एकत्र नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में [illegible] के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सैन्टर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) मिसेज उषा दत्त, सी–22, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी217, दूसरा खंड 5-भीकाजी कामा पलेस नई दिल्ली लगभग क्षेत्र 635 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण),
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1825

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो बी-206, 5, भीकाजी कामा पलेस नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेन्टर इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) मिसेज सरला दत्त, एम–16, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बी-206, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1847

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फलैट नं० 211, 2-ए, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली -1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल का **पन्द्रह** प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कैलाश नाथ एंड एसोसिएटस, 1006, कंचनजंगा 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिसेस कान्ता एगल पत्नी एन० एस० एगल इ–582, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाही करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन क तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर** सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फलैट नं० 211, क्षेत्र 728, वर्ग फीट जमा 21 वर्ग फीट बालकोनी दूसरा खंड बहुमंजिली कमर्शियल बिल्डिंग एल्पास 2-ए, भीकाजी कामा पलेस नई दिल्ली

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7 नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्रपत्र आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1824

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो ए-211, दूसरा खंड 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली लगभग क्षेत्र 607 वर्ग फीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेन्टर इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) मिसेस सरला दत्त एम–16, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० 211, दूसरा खंड 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 607 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, बम्बई

तारीख : 3-11-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन -7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/VII/37ईई/ 4-86/ 1765—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00 000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सं० 206-ए है तथा जो दूसरा खण्ड 5, भीकाजी-कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यक्षान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यक्षान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यक्षान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट कैलाश लाश, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) मिसेस उषा दत्त, सी-22, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मेरे हस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ए-2, दूसरा खण्ड 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 1 लगभग क्षेत्र 614 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुनरेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० 7/37ईई/4- 86/ 2935--अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1012 है तथा जो प्रकाशदीप 7, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों को, अर्थात् :—

(1) श्रीमति सवंत कौर पत्नी स्व० जी० एस० गंगा, पो० ओ० मेटबोर, जिला—गुरदासपुर, पंजाब। (अन्तरक)

(2) मास्टर शयद वोहरा यू०/जी० आफ सतीश कुमार वोहरा के-113, हौज खास, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1012, प्रकाश दीप, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेंज -1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/ 7/37ईई/4-86/ 3034—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 902 है तथा जो 13, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण), अर्जनरेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

मोहर :

(1) बक्शी विक्रम विकास कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० 13, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) पानीपत प्रोपर्टी प्रा० लि०, 17, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय फ्लैट नं० 902, तादाद्री 696 वर्ग फीट, नौवां, खण्ड, बहुमंजली बिल्डिंग, 13, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली 1 (निर्माणाधीन।

[वी० के० मंगोत्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जनरेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० 7/37ईई/4-86/3033

अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 11-ए है तथा जो वंदना बिल्डिंग 11, टालसटाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित सद्भावेश से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कालिमा प्लास्टिक प्रा० लि०, 11-ए, वंदना बिल्डिंग 11-ए, टालसटाय मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) देश राम बरी, 112, जोरबाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 11-ए, वन्दना बिल्डिंग, 11, टालसटाय मार्ग, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन-रेंज, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए०/ सी० / एक्यू० 7/37ईई/5-86/ 1765—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ए-212 है तथा जो 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन-रेंज 7 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने कारण है यथापूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स साधना सिंह, डी-77, साकेत, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ए-212, दूसरा खण्ड, 5 भीकाजी कामा पेलेस, नई दिल्ली लगभग क्षेत्र 623 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० 7/37ईई/ 4-86/ 3031—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० जी० एफ, 5, टाल्स टाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अंसल प्रोपर्टी इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, 115, अंसल भवन, 16, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) रमेश कुमार कोहली, एफ-7, /32, कृष्ण नगर, दिल्ली-57

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० जी० एफ०-5 टाल्स टाय मार्ग, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

इकम बाई.टी.एस.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /7/37ई/ 4-86/ 182—अतः मुझे, बी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी-2 396 जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है (और उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल 1986

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) बलवीर सिंह सुपुत्र अवतार सिंह, हिन्दुस्तान कापर, लि०, 8, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स प्रेम वामन रोहत वासन, सी-31 राजौरी-गार्डन, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सी-2, 396, जनकपुरी, नई दिल्ली।

बी० के० मंगोत्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /7/37ई/4-86/ 3040—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एन-70, ग्रेटर कैलाश,-1, नई दिल्ली-48 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7, नई-दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम आयकर 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से उसे प्रत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) राज रानी चोपड़ा, एण्ड सन्स श्रीमति रीता खरबन्दा, एन-70, ग्रेटर कैलाश, -1, नई दिल्ली-48

(अन्तरक)

(2) मेसर्स ओम प्रकाश पेरीवाल एच० यू० एफ०-2, श्रीमति भानुमति पुरीवाल, 2400 तिलक गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एन-70, ग्रेटर कलाश, 1, नई दिल्ली-18 295 वर्ग गज।

वी० के० मंगोत्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा) 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई ए० सी० /एक्यू० /7/37ईई/4-86—3022—अतः मुझे वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी-48ए, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सुमित्रा देवी अग्रवाल, सी-48 ए, ग्रेटर कलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मास्टर अंजू मिगलानी और मास्टर अंजिन मिगलानी, 162, 16 वां खण्ड, के क्षितिज बिल्डिंग, नीपो सीए रोड, बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सी-48 ए, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली

वी० के० मंगोत्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /7/37ई/ 4-86/ 2073—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 1,00,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एफ० नं० बी० टी० 9, है तथा जो 5, भीकाजी, कामा पेलेस, नई दिल्लीमें स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरुप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का एकमुश्त प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा ग्रहण नहीं किया गया या या किया गया चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) ओम दत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) ब्रह्म दत्त (एच० यू० एफ०), एम-516, ग्रेटर - कैलाश-1, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० बोटो, 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली । लगभग क्षेत्र 213 वर्ग फीट ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /7/37ईई/ 4-86/ 2992—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट सं० एम-63, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादी 250 वर्गगज में स्थित है और इस सेउपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति मंनजात कौर पत्नि श्री प्रीतम सिंह, एम-185, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली 48

(अन्तरक)

(2) साहिल बिल्डर्स द्वारा पार्टनर वी० के० नारंग, ई-266, ग्रेटर कैलाश, 2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० एम-63, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादी 250 वर्ग गज।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्रकल्प आई.डी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 196

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /7/37ईई/ 4-86/ 2072—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० बी० टी० 5, बेसमेंट फ्लोर, कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया है या कम किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि० 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) ब्रह्म दत्त (एच० यू० एफ०), एम-1, ग्रेटर कलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी० टी० 5, बेसमेंट फ्लोर, फ्लोर 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 258 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्रपत्र आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्य० /7/37ई/4-86/2071—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,20,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० तथवे जो एफ०नं० बी० टी० 4, 5, भीकाजी कामा, प्लेस, नई दिल्ली लगभग 624 वर्ग फीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986 को पश्चात् उक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अन्तरण के लिए दिए गए प्रतिफल से, एतद् पश्चात् परिभाषित के अनुसार प्रतिफल का [illegible] अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच सद्भावपूर्ण संव्यवहार के लिए उचित समझा गया परिणाम, निम्नलिखित कारणों से उक्त अन्तरण विलेख में सम्यक्तया कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56 कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) ब्रह्मदत्त (एच० यू० एफ०), एम-16, ग्रेटर कैलाश,-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ० नं० 4, 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली लगभग क्षेत्र 624 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

मुख्य आई. टी. एन. एस.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू० 7/37ईई/ 4-86/2070—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एफ० नं० एन० जी०-14 है तथा जो 5, भीकाजी, कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अंतरक को [illegible] या उसे देने में सुविधा के लिए; अथवा,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या [illegible] के प्रयोजनार्थ [illegible] स्वामी [illegible] नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

[illegible] अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स गीता दत्त एम-16, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर उक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में दिये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० 4, 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली लगभग 203 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्रकप आई.टी.एन.एच.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू० /7/37ईई/4-86/2069—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एफ सं० ए-210 है तथा जो दूसरा खण्ड 5, भीकाजी प्लेस, नई दिल्ली 375 वर्ग फीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति की उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का एक्यू प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स सरला दत्त एम-16, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एफ नं० ए-210 दूसरा खण्ड 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली । लगभग क्षेत्र 375 वर्ग फीट ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /7/37ई/4-86/ 2068—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 619 6ठवां खण्ड 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंचमांश प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) ब्रह्मदत्त इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स क० प्रा० लि० कार्यालय प्रशासन, एम16, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नं० 619 6ठवां खण्ड, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 556 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० अई० ए० नी० /एक्यू० /7/37ईई/4-86/2067—अतः मुझे बी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 428 है तथा जो 4था खण्ड नं, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रतिफल से, एसे प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से कुछ किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्यूनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कलाश, नई दिल्ली।

(अन्तर

(2) ब्रह्मदत्त इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स क० प्रा० लि०, एम-16, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में आपत्तियां :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 428,4था खण्ड फ्लोर 9, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 356 वर्ग फीट।

बी०के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /7/37ईई/ 4-86/ 2066–अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके इसके पश्चात् [illegible] गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्रशासन कार्यालय, एफ सं० 424 है तथा जो 4 था खण्ड, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एक [illegible] के लिए तय [illegible] प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं लिखा गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 की 271 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) सोसदन बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स ब्रह्म दत्त इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स क०प्रा०लि० प्रशासन कार्यालय-16, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके उपर्युक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति के हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा [illegible] के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति के हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा [illegible] के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—[illegible] शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ सं० 424, 4था खण्ड 9, भीकाजी कामा पेलेस, नई दिल्ली। 531 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्रपत्र आई. टी. एस. 54.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/7/37ईई/4-86—1974—अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 412 है तथा जो विश्वास सदन, प्लाट नं० 9, जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब:, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) नायगेरा होटल्स एण्ड बिल्डर्स प्रा० लि०, विक्रम टावर 17, राजेन्द्र नगर प्लेस, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) मास्टर साकेत सूरी (छोटा) द्वारा अभिभावक पिता श्री जोगेन्द्र पाल सिंह सूरी, 33, पूसा रोड, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी आस्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 412, विश्वासदन प्लाट नं० 9, जनकपुरी सेंटर, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ई/4-86/1973–अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 411, विश्वा सदन प्लाट नं० 9, जनक पुरी डिस्ट्रीक सेन्टर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) नायरगेरा होटल्स एंड बिल्डिरस प्रा० लि० त्रिक्रम टावर, 16 राजिन्दर प्लेस, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) मास्टर साकेत सुरी (छोटा) द्वारा अभिभावक जोगिन्द्र पाल सुरी 33, पूसा रोड, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 411, विश्वा सदन प्लाट नं० 9, जनकपुरी डिस्ट्रिक सेन्टर, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज;–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एम. एस.--------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1972

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 410, विश्वा सदन प्लाट नं० 9, जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) नायगेरा होटल्स एंड बिल्डिंग्स प्रा० लि० विक्रम टावर, 16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्रीमती शारदा सुरी पत्नी जोगिन्द्र पाल सुरी 33, पूसा रोड, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 410 विश्वा सदन प्लाट नं० 9, जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

अन्तरण सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/4-86/1971

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि** स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 409, विश्वा सदन प्लाट नं० 9, जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यभाव प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यभाव प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यभाव प्रतिफल का एक्यह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा **के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) नायरा होटल्स एंड बिल्डिरस प्रा० लि० विक्रम टावर, 16, राजिन्दर पलेस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) जोगिन्दर पाल सुरी सुपुत्र स्वर्गीय मेला रामसुरी 33, पूसा रोड, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त **व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 4409, विश्वा सदन, प्लाट नं० 9, जनक पुरी डिस्ट्रिक सेंटर, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986
निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1970

अतः मुझे, श्री वी० के० मगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 408, विश्वा सदन, प्लाट नं० 9, जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर नई दिल्ली में स्थित है)और इससे उपाबद्ध अनसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

मोहर :

(1) मेसर्स नायगेरा होडल्स एंड बिल्डिरस प्रा० लि० विक्रम टावर, 16, राजिन्दर पलेस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) अमन सुरी सुपुत्र जोगिन्द्र पाल सुरी, 33, पूसरा रोड, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 408, विश्वा सदन प्लाट नं० 9, जनकपुरी डिस्ट्रीक सेंटर, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्रकाश. आई. टी. एस. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1968

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 196. (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० 431, चौथा 9, भीकाजी कामाप्लेस, नई दिल्ली में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डिरस प्रा० लि०, 56. कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिसेज अंजली आनन्द, बी-11, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० 431, चौथा खंड 9, भीकाजी कामा पलेस नई दिल्ली। लगभगग क्षेत्र 342 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज –7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई०ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1967

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 430, चौथा खंड 9, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86.

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों), और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डिरस प्रा० लि०, 56 कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिसेस अंजली आनन्द, बी-II ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 430, चौथा खंड 9, भीकाजी पलेस, नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र-432 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई-4-86/1966

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फलट नं० वोटी 45, बसमेंट फ्लोर5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) सोमदत्त बिल्डिरस प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिसिज अंजली आनन्द, बी-11, ग्रेटर कैलाश–2 नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फलैट नं० वी०टी 45 बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 199 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा) 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986.

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1966

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० बी०टी० नं० 44, 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डिरस प्रा० लि० 56, कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिसिस अंजली आनन्द, बी-11, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० बीटी 44, बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली 1 लगभग क्षेत्र 406 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ई/4-86/1779

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० 433, चौथा खंड भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यभान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यभान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यभान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के योजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मोमदत्त बिल्डर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली। (अन्तर)

(2) मिसेज अनुराधा दत्त मुजाल, डी-151, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० 433, चौथा खंड भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 487 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

इकरप बाई., टी., एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/17/86

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० 624, छटवा खंड भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली लगभग 540 वर्ग फीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डिर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेन्टर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिसेज अनुराधा दत्त मुजालकी-151, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही किया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० 624, छटवां खंड 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 540 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986

मोहर :

इकम आई.टी.एच.एल.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं०आई० ए० सी०/एक्यू/4/37ईई/4-86/1777

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० 432, चौथा खंड भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा दायित्व के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :

(1) सोमदत्त बिल्डिरर्स प्रा० लि०, 56 कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) मिसु चारूदत्त, सी-22, ग्रेटर कलाश-1, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा.

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० 432, चौथा खंड 9, भीकाजी काम प्लेस, नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 341 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरिक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

एक्स आई० टी० एस० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/3कईई/4-86/1775

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० बीटी 36 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली लगभग 259 वर्ग फीट में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण(अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन प्रारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान **प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है**

कि यह यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डिर्स प्रा लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिस चारु दत्त, सी-22, सेंटर कैलाश-1 नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० बीटी 36, बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी काम प्लेस, नई दिल्ली लगभग क्षेत्र 259 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए,० सी०/एक्यू/737ईई/4-86/1774/

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० बीटी-35 बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा फ्लेस नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डिर्स प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली,।

(अन्तरक)

(2) मिसज चारु दत्त, सी-22, ग्रेटर कैलाश–1, नई नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीनं से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० बी-35, बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी प्लेस, नई दिल्ली, लगभग क्षेत्र 251 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

प्रकप बाई.टी.एम.एम.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी/एक्यू/7/37ई/4-86/1773

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० एल० जी—10 लोयर ग्राउंड फ्लोर, 5 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डिर्स प्रा० लि०, 56 कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिस चारु दत्त सी-22, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० एल जी-10, लोअर ग्रांउड फ्लोर 5, भीकाजी कामा पलेस नई दिल्ली, लगभग क्षेत्र 478 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज—7, नई दिल्ली

तारीख : 11-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 के 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 86

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1770

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० बीटी नं० 38, बसमेंट फ्लोर भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण') अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन

तारीख अप्रल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डिर्स प्रा० लि०, 56 कम्युनिटी सेंटर इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिस लतिका दत्त, सी-22, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० बीटी 38, बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली। लगभग क्षेत्र 261 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख: 11–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज –7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 1

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1764

अतः मुझ, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० बोटी 39, बैसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा, प्लेस नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डरस प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) मिस लतिका दत्त सी-22, ग्रेटर कलाश-1, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० बोटी 39, बैसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, लगभग क्षेत्र 405 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 11–12–1986
मोहर :

रूप साई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (191 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (**निरीक्षण**)
अर्जन रेंज,-7 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7/37ईई/4-86/1772

अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० बोटी 24, बेसमेंट फलोर, 5 भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख .प्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी धन या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् है—

(1) सोमदत्त बिल्डरस प्रा० लि०, 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) मेसर्स साधना सिंह, डी–77, साकेत, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धि व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० बोटी 24, बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली, लगभग क्षेत्र 415 वर्ग फीट।

वी के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख: 11–12–86
मोहर:

प्रारूप आई.टी.एन.एस.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/37ईई/4-86/1771

अतः मुझे, वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो एफ नं० बी 23 बैसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली लगभग क्षेत्र 253 वर्ग फीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डरस प्रा० लि०, 56 कम्युनिटी सेंटर इस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली (अन्तकर)

(2) मेसर्स साधना सिंह, डी-77, साकेत, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो उक्त अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एफ नं० बोटी 23, बैसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली, लगभग क्षेत्र 253 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख: 11-12-86
मोहर:

प्रारूप आई. टी. एच. एल.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7–37,ईई/4-86/2074

अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य और जिसकी सं० है तथा जो फलेट नं० बोटी 10 बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली क्षेत्र 413 वर्ग फीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोमदत्त बिल्डरस प्रा० लि०, 56 कम्युनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) ब्रह्मदत्त (एच यू एफ)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फलेट नं० बोटी 10, बेसमेंट फ्लोर 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली, लगभग क्षेत्र 413 वर्ग फीट।

वी०के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख: 11–12–1986
मोहर:

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110 011, the 1st December 1986

No. A.32013/2/86-Admn.I.—The Chairman, Union Public Service Commission is pleased to appoint the following permanent Section Officers of the CSS cadre of Union Public Service Commission to officiate as Under Secretaries in Grade I of CSS on ad-hoc basis for the period shown against each or until further orders, whichever is earlier under the powers vested in him *vide* Regulation 7 of U.P.S.C. (Staff) Regulations, 1958.

S. No.	Name	Period
	S/Shri	
1	B. N. Arora	26-11-86 to 9-1-87 (AN)
2.	B. D. Sharma	Do.
3.	D. R Madan	Do.
4.	Dhanish Chandra	Do.
5.	S.D. Sharma	Do.
6.	P. D. Srivastava	Do.

The 11th December 1986

No. A.32013/2/86-Admn.I.—The Chairman, Union Public Service Commission is pleased to appoint Shri N. Namasivayam, a permanent Section Officer of the CSS cadre of Union Public Service Commission to officiate as Under Secretary on ad-hoc basis for a period of three months w.e.f. 11-12-86 to 10-3-87 or until further orders, whichever is earlier under the powers vested in him *vide* Regulation 7 of U.P.S.C. (Staff) Regulations, 1958.

No. A.32014/1/86(i)-Admn.I.—The President is pleased to appoint the following Senior Personal Assistants (Grade B of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission as Private Secretary (Grade A of CSSS) in the same cadre on *ad-hoc* basis for the period as indicated below against their names or until further orders :—

S. No.	Name	Period
	S/Shri	
1.	Tarsame Singh	4-12-86 to 28-2-87
2.	K. S. Bhutani	Do.
3.	P. P. Sikka	Do.
4.	M. M. L. Chandna	Do.
5.	M. M. L. Dua	Do.

2. The above-mentioned persons should note that their appointment as Private Secretary (Grade A of CSSS) is on *ad-hoc* basis and will not confer on them any title for absorption in Grade A of CSSS or seniority in that Grade. Further, their appointment is subject to the approval of the Department of Personnel & Training.

M. P. JAIN
Under Secy. (Per. Admn.)
Union Public Service Commission.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 22nd December 1986

No. 3/26/86-AD-V.—The President is pleased to appoint Shri Satish Sahney, IPS (MAHA : 1963) as Deputy Inspector General of Police, on deputation basis in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 18th December, 1986 and until further orders.

D. P. BHALLA
Administrative Officer (E)
CBI.

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the December 1986

No. D.I-13/86-Adm-3.—Consequent on their appointment to the post of JAD(A/Cs)/Audit Officer in CRPF, on deputation basis, the undermentioned officers have been posted as Audit Officer in the Internal Audit Party as mentioned against their names, and have taken over charge from the dates shown against each, in temporary capacity till further orders :—

S. No.	Name of the Officer	Posting	Dpte of Taken over
1.	Shri S. K. Mohiuddin	I A Party (South Zone) O/O IGP S/I, CRPF, Hyderabad	27-10-86
2.	Shri Jyotirmoy Gupta	IA Party (East Zone) O/O IGP S/II CRPF, Calcutta	6-11-86

(Sd/-) ILLEGIBLE
Dy. Director (Adm).

New Delhi-110 003, the 22nd December 1986

No. O.II.214/69-Estt-I.—Shri Sunder Singh, Assistant Commandant (Second-in-Command), 5th Bn., CRPF expired on 3-10-1986 (FN). He is accordingly struck off the strength of the Force with effect from 3-10-1986 (AN).

No. O.II.538/69-Estt(CRPF).—Consequent on his voluntary retirement from service M. K. T. Garga, Commandant 86 Bn., CRPF relinquished charge of the post with effect from 30-11-1986 (AN).

No. D.I.29/85-Estt-I.—Consequent on his repatriation from Punjab Police, Shri D. K. Khurana, Assistant Commandant, resumed his duty in CRPF at Delhi on promotion as Commandant in the forenoon of 13th October, 1986 and proceeded on 40 days LKD.

ASHOK RAJ MAHEEPATHI
Asstt. Director (Estt).

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 24th December 1986

No. 2391/CA.I/GS-69.—On his attaining the age of superannuation Shri Gurdial Singh, Audit Officer (Commercial) working in the office of the Director of Audit (Food), New Delhi has retired from Central Govt. service with effect from 30-11-1986 (AN).

D. N. ANAN
Asstt. Comptr. & Ar. Genl. (Comml.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E) I
MADHYA PRADESH

Gwalior, the 16th December 1986

No. Admn.I/GO'S/PF-SRK/283/1525.—Shri S. R. Ksnhe (01/173) a permanent Accounts Officer O/o the Accountant General (A & E) II M.P. shall retire from Central Government service w.e.f. 31-12-86 (AN) after attaining the age of superannuation.

(Authority : A. G. (A & E)I's order dated 15-12-86).

NIRANJAN PANT
Sr. Dy. Accountant General (A).

MINISTRY OF LABOUR
LABOUR DEPARTMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171 004, the 2nd January 1987

No. 5/1/86-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on Base : 1960=100 increased by seven points to reach 692 (Six hundred ninety-two) for the month of November, 1986. Converted to Base 1949=100 the index for the month of November, works out of 841 (Eight hunder forty-one).

VIJAY KUMAR
Deputy Director,
Labour Bureau
Shimla

DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE
SERVICE AND LABOUR INSTITUTES

Bombay-400 022, the 24th December 1986

No. 15/12/86-Estt.—The Head of Department, Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes, Bombay is pleased to appoint Shri S. K. Chatterjee, Assistant, Ministry of Labour, New Delhi as Administrative Officer Regional Labour Institute, Kanpur under this Directorate General on deputation basis for a period of 3 years w.e.f. 12-12-86 (FN).

K. A. NARAYANAN
Dy. Director (Adm.)
for Director General

MINISTRY OF COMMERCE
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 23rd December 1986

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL
(ESTABLISHMENT)

No. 6/1033/74-Admn(G)/5966.—The President is pleased to appoint Shri L. K. Batra, Assistant Chief Controller of Imports and Exports (Grade III of Central Trade Service) in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports as Deputy Chief Controller of Imports and Exports (Grade II of Central Trade Service) with effect from the forenoon of the 7th November, 1986 and until further orders.

No. 6/1039/74-Admn(G)/5974.—The President is pleased to appoint Shri M. M. De, Assistant Chief Controller of Imports and Exports (Grade III of Central Trade Service) in the Import and Export Trade Control Organisation to Grade II of Central Trade Service (Deputy Chief Controller of Imports and Exports) with effect from the forenoon of the 6th November, 1986 and until further orders.

SHANKAR CHAND
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports.

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-400 020, the 24th December 1986

No. 2(89)/FST.I/86/5484.—Shri S. K. Chandok officiating on ad-hoc basis as Assistant Director, Gr. II (P & D) in the Office of the Powerloom Service Centre, Gaya, a subordinate Office of the Textile Commissioner, Bombay voluntarily retired from Government Service from the forenoon of 11-9-1986.

VIRENDRA B. VERMA
Jt. Textile Commissioner.

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND
DISPOSALS
(ADMINISTRATION SECTION : A-6)

New Delhi-110 001, the 24th December 1986

No. A-31014/1/85/A-6.—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints the following Assistant Inspecting Officer (Engineering) substantively in the permanent posts of the Assistant Inspecting Officer (Engineering) with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of confirmation
1.	Shri O. N. Lashkari	01-02-1983
2.	Shri M. Madhava Rao	01-02-1983
3.	Shri Jaswant Singh	01-09-1983
4.	Shri R. S. Minhas	01-10 1983
5.	Shri B. K. Arya	07-05-1985
6.	Shri R. K. Das Gupta	07-05-1985
7.	Shri P. N. Phagre	07-05-1985
8.	Shri A. M. Paranjpe	07-05-1985
9.	Shri V. Nandan	07-05-1985
10	Shri K. N. Nagraj	07-05-1985
11.	Shri T. R. Ghosh	07-05-1985
12.	Shri S. C. Gurg	07-05-1985
13.	Shri S. K. Jain	01-09-1985
14.	Shri N. S. Natrajan	01-09-1985
15.	Shri S. K. Mukherjee	01-11-1985
16.	Shri A. K. Kuttan	01-01-1986
17.	Shri K. R. Narayan	01-02-1986
18.	Shri B. M. Saran	01-06-1986
19.	Shri D. Bandhopadyay	01-06-1986
20.	Shri C. P. Srivastava	01-06-1986
21	Shri S. K. Pandit	01-08-1986
22.	Shri G. H. Mondal	01-09-1986
23.	Shri R. K. Malhotra	01-11-1986

R. P. SHAHI
Dy. Director (Admn.)
for Director Genl. of Supplies and Disposals.

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA
KHAN VIBHAG

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700 016, the 11th December 1986

No. 8507B/A-32013(AO)/78-19A.—Shri D. B. Bhasin, Superintendent, GSI has been appointed by the Director General, GSI on promotion as Administrative Officer in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 10-11-86 against the leave vacancy of Shri A. V. P. Rao, Adm. Officer, Western Region, GSI, Jaipur for the period from 10-11-86 to 12-12-86.

A. KUSHARI
Director (Personnel),
for Director General.

Calcutta-700 016, the 11th December 1986

No. 8517B/A-19011(3-MI.K)/80-19B.—Shri M. L. Kumbhare, Chemist (Jr.), GSI, has made over charge in GSI with effect from the afternoon of 26-9-1986 for joining as Director (Regional Laboratory) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Deptt. of Agriculture & Co-operation, New Delhi.

A. KUSHARI
Director (Personnel)

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 23rd December 1986

No. A-19011(95)/86-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri Babu George, Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines has been promoted to officiate in the post of Regional Mining Geologist in the Indian Bureau of Mines with effect from the forenoon of 8-11-86.

The 24th December 1986

No. A-19011/195/86-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri S. R. Bhaisare, Senior Chemist, Indian Bureau of Mines has been promoted to officiate in the post of Superintending Chemist the pay scale of Rs. 1500-60-1800-100-2000/- in the Indian Bureau of Mines w.e.f. 18-12-1986 (AN).

G. C. SHARMA
Asstt. Administrative Officer
for Controller General
Indian Bureau of Mines.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(Det Genl. H.S.)

New Delhi, the 24th December 1986

No. A-38012/3/86-Admn-I.—On attaining the age of superannuation Dr. Mohendra Singh Director (CBHI) in this Directorate General of Health Services retired from Government service on the afternoon of the 31st October, 1986.

P. K. GHAI
Dy. Director Administration (C & B).

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPTT. OF RURAL DEVELOPMENT)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 19th December 1986

No. A.19027/1/85-A.III.—On his appointment as Lecturer in the School of Planning & Architecture, the resignation tendered by Shri S. K. Mehra, Assistant Planner in D. M. I., Faridabad, has been accepted with effect from 17th Nov., 1986(AN). Shri Mehra is not on the strength of D. M. I. from the date of acceptance of his resignation.

ANITA CHOUDHARY
Agril. Marketing Adviser.
to the Govt. of India

DEPARTMENT OF SPACE
SHAR CENTRE

Sriharikota, the 25th November 1986

No. SCF/PGA/ESTT II/15.—The Controller, SHAR Centre hereby appoints on promotion Shri N. Penchaliah to the post of Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200/- in the SHAR Centre, Sriharikota in an officiating capacity with effect from the forenoon of 29-9-1986.

P. S. NAIR
Head, Personnel & General
Admn. Division
for Controller

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-400 038, the 8th December 1986

No. 11-TR(6)/76.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Prabir Ghosh, Engineer Officer in the Directorate of Marine Engineering Training, Calcutta w.e.f. 3-11-1986 (AN).

N. K. PRASAD
Dy. Director Genl. of Shipping

MINISTRY OF INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Savera Marketing Company Private Limited.

Gwalior-474 009, the 18th December 1986

No. 2182/PS/CP/2854.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Savera Marketing Company Private Limited, Bhopal unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. KARMAKAR
Registrar of Companies
Madhya Pradesh, Gwalior.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Bikash Roy Production Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 22786/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Bikash Roy Production Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Anushilan Agency Private Limited.

Calcutta-20, the 12th December 1986

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 19826/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of the Anushilan Agency Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Fabcon Chemicals Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 32099/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Fabcon Chemicals Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Calcutta Courier Service Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 31771/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Calcutta Courier Service Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Hindusthan Drum Manufacturers Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 24605/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Hindusthan Drum Manufacturers Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Puthighar Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 26869/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Puthighar Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Dr. P. K. Mohanty Engineers Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 27974/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Dr. P. K. Mohanty Engineers Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Mica Insulation Industries Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 24969/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mica Insulation Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Agai Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 29185/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Agai Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. K. Das & Co. Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 21615/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. K. Das & Co. Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Ranjan Mica Industries Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 30387/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ranjan Mica Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Sheogaurav Private Limited.

Calcutta-20, the 22nd December 1986

No. 28983/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sheogaurav Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

G. C. GUPTA
Addl. Registrar of Companies
West Bengal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay the 12th December 1986

Ref. No. AR.III/37EE/2799.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 294 (p) Subrlan Scheme No. III S. No. 1594 (p) 5941/1, 2. Chembur, Bombay
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
Bombay on 29-4-1986.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bulchand H. Mensukhani.
(Transferor)

(2) Chambur Blue Diawand View C.H.S. Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 294 (p) Subraban Scheme No. 3, Chembur City, S. No. 1594 (p), 1594/1 and 2, Chembur, Bombay.
The agreement has been registered with Sub-Registering Officer at Sr. No. S-833, dated 29-4-1986.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay

Date : 12-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1986

Ref. No. ARIV/37EE/27617/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No. 53-CD in Government Industrial Estate, Kamdi nali (West), Bombay together with building standing hereon and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered U/s 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at situated at Bombay Bombay on 28-4-1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Nirmal Plastic Industries. (Transferor)

(2) The Supreme Industries Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 53-D in Government Industrial Estate, Kandivli (W), Bombay. Together with building standing thereon.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. ARIV/37EE/27617/86-85 on 1-4-1986

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incometax
Acquisition Range-I
Bombay

Date : 10-12-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1986

Ref. No. ARIV/37EE/27625/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. A-701 & A-702 atShanta Apartments, Plot No. 369, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered U/s 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 1-4-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Smrat Builders. (Transferor)

(2) M/s. Yash Trading & Finance Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of he aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A-701 & A-702, Shanta Apartments, Plot No. 369, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under No. ARIV/37EE/27625/85-86 on 1-4-1986.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1986
Seal :

FORM ITN8———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1986

Ref. No. ARIV/37EE/27539/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Piece of land lying at Village Eksar S. No. 225, H. Nos. 3, 15, 9 at Yogin Nagar, Taluka Borivli
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred and the same is registered under Section 269-AB of the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 1-4-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Vijay K. Sawant. (Transferor)

(2) Mr. U. H. Gandhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land lying at Village Eksar S. No. 225, H. Nos. 16, 3, 15, 9 at Village Eksar Taluka Borivli.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. ARIV/37EE/27539/85-86 on 1-4-1986.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay 10th December 1986

Ref. No. ARIV/37EE/27648/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Bunglow No. 1, ground floor, Benhur, Sunita Park, Chandavarkar Lane, Borivli (W), Bombay-92
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income tax Act 1961 in the office of the Competent Authority at
Bombay on 1-4-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. K. P. Developers. (Transferor

(2) M/s. R. L. Metal Corpn. (Transferee

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person instead in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Bunglow No. 1, ground floor at Benuhr, Sunita Park Chandavarkar Lane, Borivli (W), Bombay-92.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. ARIV/37EE/27648/85-86 on 1-4-1986.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1986

Ref. ARIV/37EE/27649/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Bunglow No. 3, ground floor, Benhur, Sunita Park, Chandavurkar Lane, Borivli (W), Bombay-92 situated at Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-4-1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabilty of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, a hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. K. P. Developers. (Transferor)

(2) M/s. R. L. Metal Corpn. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of this said Act, shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Bunglow No. 3, ground floor, Benhur, Sunita Park, Chandavarkar Lane, Borivli (W), Bombay-92.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. ARIV/37EE/27649/85-86 on 1-4-1986.

LAXMAN DAS
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Competent Authority
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1986.
Seal : :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1986

Ref. ARIV/37EE/27478/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Bunglow No. 5, Divine Bunglows Co-op. Hsg. Ltd., Mandapeshwar Road, Borivli (W), Bombay-400103 situated at Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-4-1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S. K. Tandon. (Transferor)

(2) S. T. Sachanandani. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bunglow No. 5, Divine Bunglows Co-op. Hsg. Scty. Ltd., Mandapeshwar Road, Borivli (W), Bombay-400103.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. ARIV/37EE/27478/85-86 on 1-4-1986.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1986.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1986

Ref. ARIV/37EE/27553/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot of land at Dahisar (E), C.T.S. No. 1237, S. No. 59, Hissa No. 2(p) alongwith structure standing therein, Taluka Borivli Dist, Bombay situated at Bombay and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority Bombay on 1-4-1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) of the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurudas Sabaji Desai & Ors. (Transferor)

(2) M/s. Chetan Construction Co. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land with structure at Dahisar (E), C.T.S. No. 1237, Survey No. 59, Hissa No. 2(p) at Taluka Borivli, Dist. Bombay.

The agreement has been registered by the Competent 1-4-1986.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 12-12-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1986

Ref. No. ARIV/37EE/27616/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot No. 2 at Revenue Survey No. 161, Hissa No. 2 (Part) C.S. No. 2796, Village Eksar, Borivli (West), (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered U/s 269AB of the said Act in the office of the Bombay-400 092 situated at Bombay Bombay on 17-4-1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Sebastiana Pereira & Mr. Minino M. Rodricks. (Transferor)

(2) Mr. Gilbert Lawrence Sequera. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2 at Revenue Survey No. 161, Hissa No. 2 (Part) City Survey No. 2796, Village Eksar, Borivali (West), Bombay-400 092.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. ARIV/37EE/27616/85-86 on 17 April 1986.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 12-12-1986.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA-16

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2406/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, I. K. GAYEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 7C, situated at Kiran Shankar Roy Road, Calcutta. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269-AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority at at under Registration No. 37EE/Acq.R-III/740 dt. 10-4-86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any [illegible] assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Nangalia Family Trust. (Transferor)

(2) Omega Holdings Private Limited. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in said Chapter.

THE SCHEDULE

Office space No. 2C & 2D measuring 2390 Sft. at 7C, Kiran Shankar Roy Road, Calcutta-1. Registered before the IAC., Acquisition Range-III, alcutta vide No. 37EE/Range-III/740 dated 10-4-1986.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta.
Acquisition Range-III.

Date : 9/12/1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA-16

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2405/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 119A, situated at Motilal Nehru Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at under Registration No. 37EE/R-III/761 dated 16/4/1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiften per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said section (1) of Section 269D of the said Act, to the following aforesaid property by the issue of this notice under sub-Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the persons, namely :—

(1) Jaswant Singh & Ors. (Transferor)

(2) Multiwise Towers Private Limited. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publiction of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land about 22 cottah 14 chittack and 15 sfg. together with brick built building and structure and out houses constructed on the said land lying at premises No. 119A, Motilal Nehru Road, Calcutta. Registered before the JAC., Acquisition Range-III, Calcutta vide No. 37EE/R-III/761 dated 16-4-1986.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta.
Acquisition Range-III.

Date : 9/12/1986
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA-16

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2404/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/-and bearing
No. 38, situated at Jatindas Road, Calcutta.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto).
has been transferred and registered under the Registration with the Competent Authority u/s. 269 AB of the said Act read with rule Officer at
at under Registration No. 37EE/Acq.R-III/801 dated 16/4/1986.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Hatino Estates Private Limited. (Transferor)

(2) Satrughna Kanta Acharya. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 on ground floor measuring 1200 sq. ft. and flat No. 102 on the 1st floor at 38, Jatindas Road, Calcutta. Registered before the IAC., Acq.Range-III, Calcutta vide 37EE/Acq.R-III/801 dt. 16-4-1986.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta.
Acquisition Range-III.

Date : 9/12/1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA-16

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2403/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, J. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. No. 36/1, situated at Southend Park, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at S.R.A., Calcutta under Registration No. I-5911 dated 24/4/1986.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitatoing the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Rahul Dev Burman. (Transferor)

(2) Smt. Sarala Totla & Ors. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that the premises No. 36/1, Southend Park, Calcutta, measuring 5 cottahs 23 sq. ft. Registered before SRA., Calcutta, on 24-4-1986 vide deed No. I-5911.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta.
Acquisition Range-III.

Date : 9/12/1986
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA-16

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2402/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269AB of the the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing no.
No. 25 situated at Ballygunge Circular Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at SRA., Calcutta under Registration No. I-6079 dated 29-4-1986.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property by aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) [illegible] money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Pradip Kumar Khaitan & Ors.

(Transferor)

(2) 1. Shanti Prakash Goenka,
2. Pawan Kumar Goenka,
3. Raj Kumar Goenka &
Vinay Kumar Goenka.

(Transferee)

[illegible] property [illegible]

[illegible] of the aforesaid persons within a period [illegible] days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the [illegible] of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 15 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The words and expressions used herein and not defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that revenue free land measuring 3045.46 sq. mtr. together with dwelling house, out houses etc. being part of premises No. 25, Ballygunge Circular Road, Calcutta. Registered before SRA., Cal., vide Deed No. I-6079 dated 29-4-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta.
Acquisition Range-III.

Date : 9/12/1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA-16

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2401/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 23, situated at Mandeville Gardens, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at IAC., Acqn.R-III, Calcutta under Registration No. 37EE/R-III/779 dated 16-4-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Saraogi Jute Co. Pvt. Ltd.
(Transferor)
(2) M/s. Harak Chand Saraogi & Co. Pvt. Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 23, Mandevilla Gardens, Calcutta. Registered before IAC., Acqn.Range-III, Cal., vide 37EE/Acq.R-III/779 dated 16-4-1986.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta.
Acquisition Range-III.

Date : 9/12/1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2400/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,0000/- and bearing
No. 32 situated at Raja Basant Roy Road Calcutta,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn.Range-III, Calcutta under Registration No. 37FE/R-III/780 dated 16-4-1986,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Archana Roy. (Transferor)

(2) Sri B. R. Bhandari. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that partly two & partly three storeyed brick built measure & dwelling house together with land measuring 2 Cottahs 6 Chittaks 40 sq. ft. at 32, Raja Basant Roy Road, Calcutta, Registered before IAC., Acq.R-III, Callcutta, vide 37FE/R-III/780 dated 16-4-1986.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta.

Dated : 9/12/1986
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2399/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,0000/- and bearing
No. 25A situated at Sarat Bose Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn.Range-III, Calcutta under Registration No. 37EE/R-III/780 dated 16-4-1986,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer aforesaid

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) N. K. Properties Private Ltd. (Transferor)

(2) Mrs. Nirmala M. Kataria. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B on 2nd floor together with one storeyed room in the building at 25A, Sarat Bose Road, Calcutta.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta.

Dated : 9/12/1986
Seal :

FORM [illegible]

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

[illegible]

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2398/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, I. K. GAYEN, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 25, situated at Mandeville Gardens Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn.Range-III, Calcutta under Registration No 37EE/R-III/780 dated 16-4-1986, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

19—416 GI/86

(1) Sobhan Mitra. (Transferor)

(2) [illegible] Towers Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice or within a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : - The terms and expressions used herein but not defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as in that Chapter

THE SCHEDULE

All that one storeyed brick built messuage tenament or dwelling house, godowns, outbuildings and two storeyed brick built annexed building containing an area of 1 Bigha 2 Kathas 8[illegible] sq. ft. of land at 25, Mandevilla Gardens Rd., Calcutta. Registered before AC., Acq.R-III, Cal dated 16-4-86

[illegible]

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta.

Date : 9-12-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2397/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, I. K. GAYEN.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, have a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 11/3A situated at Old Ballygunge 2nd Lane, Calcutta. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn.Range-III, Calcutta under Registration No. 37EE/R-III/788 dated 16-4-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Debraj Mukherjee & Ors. (Transferor)

(2) 1. Anuruddha Construction & Investment (P) Ltd.
2. Avadheesh Properties & Holdings (P) Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 11/3A, Old Ballygunge 2nd Lane, Calcutta, measuring 14 Cottahs 13 Chittaks, Registered before IAC., Acq.R-III, Calcutta vide 37EE/R-III/788 dated 16-4-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta.

Dated : 9/12/1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2396/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. situated at Lala Lajpatrai Sarani, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at IAC, Acqn.Range-III, Calcutta under Registration No. 37EE/R-III/819 dated 16-4-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) United Church of Northern India Trust Association. (Transferor)

(2) 1. Kalicharan Agarwalla.
2. Raj Kumar Agarwal.
(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 17, Lala Lajpatrai Sarani, Calcutta. Two storeyed building with land measuring 7 Cottahs 3 Chittaks. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, vide 37EE/Acq. R-III/819 dated 16-4-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Dated : 9-12-1986

Seal :

FORM IINS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 9th December 1986

Ref. No. 2595/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing, No.
No. 1 situated at Allenby Road, Calcutta,
(and more fully described in the Schedule hereinafter),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC., Acqn.R-III, Calcutta under Registration No. 37EF/R/-III/795 dated 16-4-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or this Act, or the Wealth-tax Act, 1952 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Muticon Builders Ltd. (Transferor)

(2) Mr. Mahesh Kr. Sharma (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2nd floor of the building measuring 3270 Sq. ft. at 1, Allemby Road, Calcutta-20. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, vide 37EF/Acq. R-III/795 dated 16-4-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Dated : 9-12-1986
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 11th December 1986

Ref. No. AC-58/R-II/Cal./86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. [illegible] situated at As per Deed No. I-5688/86 of April, '86 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta under Registration No. I-5688 dated April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen [illegible] of the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; [illegible]

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ranodhir Pal Choudhuri (Transferor)

(2) Mrs. Sangita Mittal & Ors. (Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever later;

(b) [illegible] any other person claiming any interest in the said property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as per Deed No. I-5688 of April, 1986. Registered before the R.A./S.R.A., Calcutta vide Deed No. I-5688 of April, 1986.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Dated : 11-12-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 11th December 1986

Ref. No. 59/Acq. R-II/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. 10 situated at Burdwan Road, Calcutta
has been transferred and the registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.A., Calcutta under Registration No. I-6113 dated 29-4-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Chowdhury's Estate Private Limited. (Transferor)

(2) M/s. Ellenbarrie Properties Ltd. (Transferee)

Objections, if any of the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 25.02 Cottahs together with three storeyed brick built building, servants quarters, garage & other construction being premises No. 10, Burdwan Road, Calcutta. Registered before Sub Registrar of Assurance, Calcutta, vide Deed No. I 6113 dated 29-4-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Dated : 11-12-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 11th December 1986

Ref. No. AC-60/R-II/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,0000/- and bearing
No. 99B. C, D & E, situated at Circular Garden Reach Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registring Officer at
C.A. under registration No. 37EE/203
R-II/Cal/85-86 dated 7-4-86.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or hte Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ityadi Prakashani Ltd. (Transferor)

(2) Swayambhu Construction Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with structure, area of land 28 k. 6 ch. 30 sft., situated at premises No. 99B, C, D & E Circular Garden Reach Road, Calcutta. More particularly described in deed No. 37EE/203/R-II/Cal/85-86 dated 7-4-86 registered by the C.A.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Dated : 11-12-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION [illegible] - III, CALCUTTA

Calcutta, the 11th December 1986

Ref. No. AC-61/R-II/Cal/86-87. -Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (the matter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 19B, situated at Alipur Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at C.A. Registration No. 37EE/215, R.I/Cal/85-86 dated 21-4-86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sobhan Properties. (Transferor)

(2) Kaushalya Devi Jain & Ors. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2627 sft. on the 5th floor flats No. 5A & 5C at premises No. 19B, Alipur Road, Calcutta-27. More particularly described in deed, 37EE/R-II/215/Cal/85-86 dated 21-4-86 registered by the Competent Authority.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Dated : 11-12-86
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 11th December 1986

Rf. No. AC-62/R-II/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. 5 situated at Janki Shah Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registernig Officer at Registration No. 37EE/199/R-II/Cal/85-86 dated 7-4-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sumermal Roychand (Transferor)

(2) Kailash Chandra Surekha & Ors. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2200 ft. on the 2nd floor at 5, Janki Shah Road, Calcutta. More particularly described in deed No. 37EE/199/R-II/Cal/85-86 dated 7-4-86 registered by the C.A.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Dated : 11-12-86
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 11th December 1986

Ref. No. C.A. 183/86-87/Sl.1263/I.A.C.|Acq.R-Cal.—
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,0000/- and bearing
No. 5 (formerly 12) situated at Wood Street, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and registered U/s 269AB of the said Act in the office of the
under Registration No. 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962
C.A. 183 dated 3-4-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by **more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Tuhinika Chatterjee & Ors. (Transferor)

(2) Azimganj Estates Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days** from the service of noitce on the respective persons **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, **within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that the premises No. 5 (Formerly No. 12) Wood Street, Calcutta, Area 1 Bigha (19 Cottah 10 Chittacks 35 Sft.). Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide Serial No. C.A. 183 dated 3-4-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Dated : 11-12-86

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2911.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,0000/- and bearing
No. Flat No. 1415 Devika Tower,
6, Nehru, Place, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.T. Act, 1961 IAC Range I, New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74, Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond., Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1415 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi.
Area 500 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 25-11-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2912.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,0000/- and bearing No. Flat No. 1416, Devika Tower, 6, Nehru, Place, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC.Range-I, New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co,
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74, Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond., Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notics on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 1416 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi. Area 440 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 25-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2913.—Whereas, I. R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. 1417 Devika Tower,
6, Nehru, Place, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC.Range-I, New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74, Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond., Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1417 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi. Area 560 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 25-11-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EF/4-85/2914.—Whereas, I, R. P. RAJESH.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat No. 1418 Devika Tower,
situated at 6, Nehru Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range I New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabilty of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, a hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74, Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond., Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of this said Act, shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1418 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi. Area 325 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 25-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-II/37EE/4-86/2913.—Whereas, I, R. P. RAJESH.
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to beileve that the immovabe property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat No. 1414 Devika Tower,
6, Nehru, Place, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer of
I.T. Act, 1961 IAC Range I, New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in ursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Prajati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74, Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond., Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1414 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi.
Area 500 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 25-11-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2916.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 1422 Devika Tower, 6, Nehru, Place, New Delhi, (and more fuly described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer ot I.T. Act, 1961 IAC Range I. New Delhi in April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pingati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74, Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond., Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1422 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi. Area 350 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 25-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86|2917.—Whereas, I, :. P. RAJESH, eing the Competent Authority under Section 269B of ie Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred as the 'said Act') have reason to believe that the immov- ible property, having a fair market value exceeding :s. 1,00,000/- and bearing 'o. Flat No. 1423 Devika Tower, ' Nehru, Place, New Delhi, and more fully described in the Schedule annexed hereto), as been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 f 1908) in the Office of the registering Officer at ' Act, 1961 IAC Range I, New Delhi in April 1986 r an apparent consideration which is less than the fair arket value of the aforesaid property, and I have reason believe that the fair market value of the property as loresaid exceeds the apparent consideration therefor by iore than fifteen per cent of such apparent consideration nd that the consideration for such transfer as agreed to bet- een the parties has not been truly stated in the said instru- ,nt of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said i, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the presaid property by the issue of this notice under sub- ion (1) of Section 269D of the said Act, to the following rsons, namely :—

(1) *M/s Pragati Construction Co.*
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74, Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond., Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 1423 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 25-11-1986

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 4th September 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2918.—Whereas, I, R. P. RAJESH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 1501 A & Devika Tower situated at 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-II New Delhi on April 86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of ection 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following aforesaid property by the issue of this notice under sub persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co. (Devika Tower) 4th Floor, Sheetla House, 73-74 Nehru Place, New Delhi. (Transferor)

(2) M/s Lana Publishing Co. Pvt. Ltd. 7th Floor, Opp. Grand Bazar, Shahid Bhagat Singh, Road, Colaba, Bombay-40039. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a perod of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1501-A & 1501-B Devika Tower 6, Nehru Place New Delhi. Area 945 Sq. Ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, New Delhi

Date: 4-9-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2925.—Whereas, I, R. P. RAJESH being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'); have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 1419 Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower)
73-74 Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1419, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi. Area 325 Sq. Ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, New Delhi.

Date : 25-11-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86|2926.—Whereas, I, R. P. RAJESH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 1420 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Secti on 2fl69D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower)
73-74 Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a perod of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1420 Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi. Area 560 Sq. Ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, New Delhi.

Date : 25-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 25th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2927.—Whereas, I, R. P. RAJESH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. 1421 Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower)
73-74 Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1421 Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi.
Area: 370 Sq. Ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, New Delhi.

Date : 25-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2928.—Whereas, I, R. P. RAJESH being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. 1409, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB in the Office of the registering Officer at IAC Acq. Range-I, of I.T. Act, 1961 New Delhi in April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower)
73-74 Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond Delhi Private Ltd.
H.O. 707-712 A, Chiranjiv Tower
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1409 Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi.
Area: 500 Sq. Ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2929.—Whereas, I, R. P. RAJESH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. 1410, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269A in the Office of the registering Officer at IAC Acq. Range-I, of I.T. Act, 1961 New Delhi in April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower)
73-74 Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond Delhi Private Ltd.
H.O. 707-712 A, Chiranjiv Tower
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1410, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi, Area 500 Sq. Ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2930.—Whereas, I, R. P. RAJESH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. 1411, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at IAC, Acq. Range-I, New Delhi in April 1986 of I.T. Act, 1961 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Pragati Construction Co. Ltd.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower)
73-74, Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Wire Cond Delhi Private Ltd.
H.O. 707-712 A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1411, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi Area 465 Sq. Ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Date: 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2931.—Whereas I,
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 1412, Devika Tower, situated at 6, Nehru Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB of I.T. Act 1961 at 269AB of I.T. Act, 1961
IAC, Acq Range-I, New Delhi
on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

22—416 GI/86

(1) M/s. Pragati Construction Co.,
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower)
73-74 Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Wire Cond. Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712A, Chiranjiv Tower,
43 Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined n Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1412, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi
Area 550 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/2392.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 1413 Devika Tower situated at 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB of I.T. Act, 1961 at IAC, Acq. Range-I, N. Delhi in April, 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabilities of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 or 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiated proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74 Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712 A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1413, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi. Area 465 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioer of Income-tax
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-8..|2339|—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. 913 in International Trade Tower situated at Nehru Place Hotels Ltd., New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB of I.T. Act, 1961 at IAC, Acq. Range-I, N. Delhi on April, 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. B. S. Sandhu & Associates (P) Ltd., 16, Community Centre, III Floor, East of Kailash, New Delhi. (Transferor)

(2) Mrs. Zareen Bhasin, w/o Shri R. K. Bhasin, Mr. Sanjay Bhasin, s/o Shri R. K. Bhasin, and Master Arjun Bhasin, son and Underguardianship of Shri R. K. Bhasin, R/o 32, Hemkunt Colony, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 913 in International Trade Tower, Nehru Place Hotels Ltd., New Delhi. Flat Area 726 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioer of Income-tax
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq.-1/37EE/4-86/2996.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. 1407, Devika Tower situated at 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB of I.T. Act, 1961 at IAC, Acn. Range-I, New Delhi in April, 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co., 4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower), 73-74 Nehru Place, New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd., H.O. 707-712 A, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable prpoerty within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1407, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi. Area 560 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq.-I/37EE/4-86/2997.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1408, Devika Tower situated at 6, Nehru Place, New Dehli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB of I.T. Act, 1961 at IAC, Acq. Range-I, N. Delhi in April, 1986.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co.,
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74 Nehru Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd.,
H.O. 707-712 A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 1408, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi.
Area 440 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq.-I/4-86/2998.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269AB of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 1406, Devika Tower, situated at 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB of I.T. Act, 1961 at IAC, Acq. Range-I, N. Delhi in April, 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) of the said Act. or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by tht issue of this notice under sub-section (1) of Siction 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co., 4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower), 73-74 Nehru Place, New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd., H.O. 707-712 A, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1406, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi Area 325 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq.-I/37EE/4-86/2999.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 1405, Devika Tower situated at 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 269AB of I.T. Act, 1961 at IAC, Acq. Range-I, N. Delhi in April, 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co., 4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower), 73-74 Nehru Place, New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd., H.O. 707-712 A, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 1405, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi. Area 325 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/3000.—
Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1404, Devika Tower, situated at 6, Nehru Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC IAC. Acq. Range-I, New Delhi of I. T. Act, 1961 in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House,
(Devika Tower)
73-74, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd.
H. O. 707-712-A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1404, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi. Area 560 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-1/37EE/4-86/3001.—
Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1403, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC., Acq. Range-I, New Delhi in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said iinstrument of transfer with the object of :—

(a) faciliating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in ursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74 Nehru Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd.,
H. O. 707-712-A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1403, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi. Area 370 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/3002.—
Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1401, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC., Acq. Range-I, New Delhi
in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House,
(Devika Tower)
73-74 Nehru Place,
New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd.,
H. O. 707-712-A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1401, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi. Area 460 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/3003.—
Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1402, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC., Acq. Range-I, New Delhi
in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, a hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co.
4th Floor, Sheetla House, (Devika Tower),
73-74 Nehru Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Wire Cond Delhi Private Ltd.,
H. O. 707-712-A, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of this said Act, shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1402, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi.
Area 400 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-10-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 4th September 1986

Ref. No. IAC/Acq-1/37EE/4-86/3019.—
Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. GF-2, in Building No. 53-54, Nehru Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC., Acq. Range-I, New Delhi
in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sh. Rajan Verma
2. Sh. Rakesh Verma
3. Mrs. Rita Verma and
4. Mrs. Veena Verma
A-342, Defence Colony,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Sunil Syal and
Mrs. Sushila Syal
R/o. E-275, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop/Flat No. GF-2 admeasuring 612 Sq. ft. in Building No. 53-54, Nehru Place, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 4-9-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/3037.—
Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 421, measuring 370 Sq. ft. on 4th Floor, in Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC., Acq. Range-I, New Delhi
in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) C N A Peejay Export (P) Ltd.,
227, Okhla Industrial Estate,
Phase-III, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Eklavya Holdings (P) Ltd.,
107, Aggarwal House,
35-36, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 421 measuring 370 Sq. ft. on 4th Floor, in Devika Tower, 6 Nehru Place, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 26th November 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/4-86/3038.—
Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 423, measuring 385 Sq. ft. on 4th Floor, in Devika Tower, 6 Nehru Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC., Acq. Range-I, New Delhi
in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) C N A Peejay Export (P) Ltd.,
227, Okhla Industrial Estate,
Phase-III, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Eklavya Holdings (P) Ltd.,
107, Aggarwal House,
35-36, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 423, measuring 385 Sq. ft. on 4th Floor, in Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 26-11-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/SR-III/4-86-545.—Whereas, I,
A. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heerinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
K-34-C Kailash Colony, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC., Acq. Range-I, New Delhi
in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Agya Wati
W/o Paldev Nath
through attorney Sh. Satish Seth
s/o Sh. R. C. Seth
G-1/16, Ansari Road, Darya Ganj.
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Gita Gopala Krishnan
W/o Sh. M. K. G. Pillai
B-2, Gulmohar Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazettte.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of first floor of Property No. K-34-C measuring 373 sq. yds. Kailash Colony, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq-VII/SRIII/4.86/583.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
M-66 Greater Kailash-I, Market, New Delhi
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bhushan Kumar Uppal
s/o Mukh Raj Uppal
D-64, Panchsheel Enclave,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Master Anurag Aggarwal
through his father Ram Parkash Aggarwal
and Mrs. Neeti Aggarwal
w/o Vijay Aggarwal
c/o Parkash Cold Storage Badaun (U. P.)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Second floor of property No. M-66, measuring 196 sq. yds. Greater Kailash-I market, New Delhi measuring 1360 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/Sr-III/4-86/529.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. M-36, Greater Kailash-II market, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Malhan Builders
E-588, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Kanika Exports
through its prop. Smt. Swaran Setia
w/o Wd. Cdr. P. P. Setia
r/o S-220, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with na period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. M-36, Greater Kailash-II, Market, New Delhi, total plot area 195 sq. yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. IAC/Acq. VII/SR-III/4-86/582.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
M-66 Greater Kailash-I market, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bhushan Kumar Uppal
s/o late Mulkh Raj Uppal
D-64, Panchsheel Enclae,
New Delhi. (Transferor)

(2) Ram Parkash Aggarwal,
bigger HUF, c/o Parkash Cold Storage,
Badaun (U. P.) (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor of property No. M-66 measuring 196 sq. yds. Greater Kailash I, market, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/SR-III/4-86/539.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
C-106 Greater Kailash-I, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Jagan Mohan Singh Vitthal
C106, Greater Kailash-I
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Vinod Saluja &
Mrs. Archana Saluja
12/5, W. E. A. Karol Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Built single storeyed house No. C-106, Greater Kailash-I, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/SR-III/4-86/553.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
K-34C Kailash Colony, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considreation therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, threefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Agya Wati
w/o Baldev Nath through general attorney
Satish Seth
s/o Sh. R. C. Seth
C-1 16, Darya Ganj,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Gita Gopala Krishnan
wo M. K. G. Pillai
B-2. Gulmohar Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor rear portion of property No. K-34C measuring 373 sq. yds. Kailash Colony, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/SR-III/4-86/530.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. S-244 Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concetlment of any income or any moneys or other assets which have not been or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dev Dutt Sharma
s/o Late Pt. Daulat Ram
r/o 22G Pocket K. Sheikh Sarai
Phase-II, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sunita Kumar
w/o Sh. Ashwani Kumar
r/o S-172, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground floor and basement of property No. S-244, measuring 300 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/SR-III/4-86/536.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
C-11, Defence Colony, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Col. (Retd.) R. D. Advani,
s/o Sh. D. G. Advani,
r/o C-11, Defence Colony,
New Delhi.
(Transferor)

(2) 1. Smt. Gurjeet Kaur
w/o Sh. Iqbal Singh
2. Sh. Iqbal Singh
s/o Sh. Kesar Singh
D-14/6, Model Town,
Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storeyed property bearing No. C-11, Defence Colony, New Delhi measuring 325 sq. yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12 1986
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq-VII/SR-III/4-86/537.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. C-59 Defence Colony, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ganga Singh
s/o Late Sh. Narpat Singh
r/o B-27, Kailash Colony,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Khushi Ram Sehgal
S/o Late Sh. Mahain Ram Sehgal
r/o C-59, Defence Colony,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid ptrsons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which over period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. C-59, measuring 325 sq. yds. Defence Colony, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/SR-III/4-86/527.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. B-223-A Greater Kailash-I, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. T. K. Nandi
s/o Sh. T. P. Nandi
r/o B/223-A, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. R. L. Dhupar
s/o Sh. Fatch Chand
r/o ground floor of B-223-A, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Entire ground floor alongwith first servant quarter in the staircase of property bearing No. B-223-A, Greater Kailash-I, New Delhi., measuring about 1500 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/SR-III/4-86/532.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. S-244 Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Dev Dutt Sharma,
22-G, Pocket K. Sheikh Sarai Ph. II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. S. D. Mamak,
H. S. Mamak
D. D.-33A, Kalkaji Extn.
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2nd floor S-244, Greater Kailash-II area 300 sq. yds. 1515 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq-VII/SR-III/4-86/533.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. S-171 Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Amar Nagrath
s/o Sh. Ranjeet Nagrath through general attorney, Sh. Satish Seth
s/o Sh. R. C. Seth,
r/o G-116, Ansari Road, Rarya Ganj,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Krishan Taneja
s/o Sh. Ram Lubhaya
r/o A-22, Chitranjan Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

IInd floor of property No. S-171, measuring 298 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq/VII/SR-III/4-86/531.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. S-244 Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dev Dutt Sharma
s/o Late Pt. Daulat Ram
r/o 22G, Pocket K. Sheikh Sarai Ph-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Madhu Gujral
W/o Rajinder Singh Gujral,
r/o A-15/17 Vasant Vihar,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor of property No. S-244, measuring 300 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14 A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/SR-III/4-86/528.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. K-13,
situated at Kailash Colony, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908(16 of 1908) in the office of the registering officer at
New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Gaudiya Sangha (Regd.)
3A/80, W.E.A. Karol Bagh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Gurjeet Singh Johar,
S/o Sh. A. S. Johar,
C-170, Greater Kailash, I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

K-13, Kailash Colony, New Delhi, (single storeyed house).

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Requisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14 A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/SR-III/4-86/535.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. S-254,
situated at Greater Kailash-II, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed herto), has been transferred under the Registration Act, 1908(16 of 1908) in the office of the registering officer at
New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabilty of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, a hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bhatia Apartments 'P' Ltd.
A/18, Kailash Colony,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Subhash Bhatla (HUF),
S-254, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of this said Act, shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Complete ground floor comprising of 3 bad rooms, 3 bath rooms, drawing dining, kitchen, frant lawn, central court yard, one servant quarter, store, car parking in the basement along with bath room 1/4th undivided freehold share in land total area of the plan is 299 sq. yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Requisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14 A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VIII/SR-III/4-86/526.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
House No. 187,
situated at Block M, Greater Kailash-II, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. V. H. Ram,
M-187, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Chand Apartments 'P' Ltd.
E-124, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Offical Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Partly constructed house No. 187 in block M built in 400 sq. yds. in Greater Kailash-II, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Requisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14 A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1830.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat 206
situated at 4-Bhikaji Cama Place, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto).
has been transferred under the Registration Act, 1908(16 of 1908) in the office of the registering officer at
New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more han fifeen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the said Act or the Wealth-tax (11 of 1922) or the said ac. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Rafco Properties & Investment Corpn.
S & P Office, 232 Shastri Nagar,
Jammu (J & K).
(Transferee)

(2) M/s. I. R. Technology Services 'P' Ltd.
B-8, Commerce Centre,
Tardeo Road, Bombay-34.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable propery, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat 206, IInd floor, 4-Bhikaji Cama Place, New Delhi 610 sq. fts. approx.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Requisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14 A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1828.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 401,
situated at 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908(16 of 1908) in the office of the registering officer at
New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferee to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. S. L. Saboo,
Govind Mension opp. L.I.C.,
Building, Asansol West Bengal.
(Transferee)

(2) Sita Ram Bhartia Institute of Scientific Research,
1181, New Delhi House,
27, Barakhamba Road, New Delhi.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 401, measuring 708 sq. ft. in under construction building No. 6-Bhikaji Cama Place, N. Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Requisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITN3

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14 A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1767.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. B-212, situated at Bhikaji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Som Datt Builders 'P' Ltd.
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferee)

(2) Miss Latika Dutt,
C-22, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-212 on IInd floor in 5-Bhikaji Cama Place, New Delhi approx. area 640 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Requisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1766.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,00/- and bearing Flat No. B-217, situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the Registering Officer I.A.C. Acq. New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the applicant consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the paid Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Som Datt Builders Pvt. Ltd.,
56, Community Centry, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Usha Datt,
C-22, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. B-217 on IInd floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi Approx. area 635 sf. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1825.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. B-206,
situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acq. New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Som Datt Builders Pvt. Ltd.,
56, Community Centry, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Sarla Datt,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. B-206 on second floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi Approx. area 593, sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1847.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 211,
situated at 2-A, Bhikaiji Cama Place, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the Registering Officer of I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kailash Nath and Associates,
1006- Kanchenjunga,
18 Barakhamba Road, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Kanta Agal, W/o
Mr. N. S. Agal,
E-582, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 211, area 728 sft. +21 cft. balcony on 2nd floor of proposed multistoreyed commercial building ALPS at 2-A, Bhikaiji Cama Place, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1824.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
F. No. A-211,
situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the Registering Officer at I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor, to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Som Datt Builders Pvt. Ltd.,
56, Community Centry, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Sarla Datt,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. A-211 on second floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. approx area 607 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1765.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
F. No. A-206,
situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the Registering Officer at I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Som Datt Builders Pvt. Ltd.,
56, Community Centry, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Usha Datt,
C-22, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. A-206 on IInd floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx area 614 sf. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/2935.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 1012,
situated at Prakash Deep 7 Tolstoy Marg, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the Registering Officer u. I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Satwant Kaur,
W/o Late Sh. G. S. Sangha,
P. O. Tibir,
Distt. Gurdespur, Punjab. (Transferor)

(2) Master Sharad Vohra U/G of
Sh. Satish Kumar Vohra
K-113, Hauz Khas, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1012 in Prakesh Deep at 7-Tolstoy Marg, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/3034.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Office flat No. 902
situated at 13, Tolstoy Marg New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the Registering Officer of I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to hte following persons, namely :—

(1) M/s. Bakshi Vikram Vikas Construction Co. Pvt. Ltd., 13, Tolstoy Marg, New Delhi. (Transferor)

(2) Panipat Properties Pvt. Ltd., 17, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Flat No. 902, measuring 696 sq. ft. on 9th floor in multistoreyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi (under construction).

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE **INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/3033.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authoity under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 11-A,
situated at Vandhna Building, 11-Tolstoy Marg, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred in the Office of the Registering Officer at I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

27—416GI/86

(1) M/s. Kalima Plastics Pvt. Ltd.,
11-A, Vandhna Bilding,
11-Tolstoy Marg, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Des Raj Bery,
112-Jor Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 11-A, Vandhna Building 11-Tolstoy Marg, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1786.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
F. No. A-212,
situated 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the Registering Officer ut I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Som Datt Builders Pvt. Ltd.,
56, Community Centry, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Sadhna Singh,
D-77, Saket, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. A-212 on IInd floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 623 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/3031.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. GF-5
situated at 15-Tolstoy Marg, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the Registering Officer u/s I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor, by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ansal Properties (Industries) Pvt. Ltd.,
115 Ansal Bhawan,
16 K. G. Marg, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Ramesh Kumar Kohli,
7/32, Krishun Nagar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. GF 5 at 15 Tolstoy Marg, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Dated : 20/11/1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1826.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
New Delhi on April 1986
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the registering Officer at New Delhi,
on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S. Balbir Singh
S/o S. Avtar Singh,
Hindustan Copper Ltd
8, Canae Street, Calcutta. (Transferor)

(1) Mrs. Prem Wasaan Rohitwassan,
C-31, Rajori Garden, New Delhi. (Transferor)

Objections, if any, to the acqquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

C-II/396, Janakpuri New Delhi House built on 432 sq. mt. single story.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86|3040.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
New Delhi on April 1986
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the registering Officer at New Delhi,
on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds
the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rajrani Chopra and
Smt. Rita Kharbanda.
N-70, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Omprakash Periwal HUF.
Smt. Bhanumati PariWal and
Master Manoj Kumar Periwal u/g
Omprakash Periwal,
2409 Tilakgali, Paharganj, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 70, Greater Kailash-I, New Delhi 295 sq. yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi.

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86|3022.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
New Delhi on April 1986
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the registering Officer at New Delhi,
on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Sumitra Devi Aggarwal
C-48A, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferor)

(2) Master Anuj Miglani and
Master Ankit Miglani.
162, 16th floor Khsitij Bldg.
Neapon Sea Road, Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

C-48A, Greater Kailash-I, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi.

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/4-86/2992.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. M-63, Greater Kailash-I situated at New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the registering Officer at I. T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi.
on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Manjeet Kaur
W/o Sh. Pritam Singh
M/185, Greater Kailash-II, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Sahil Builder, through partner V. K. Narang, S/o Shri J. C. Narang,
E. 226, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. M-63, Greater Kailash-II New Deli measuring 250 sq. yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi.

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/2073.—Whereas, I V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. Bt. 9, situated at 5, Bhikaiji Cama Place, New Delhi situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi
in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely —

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash
New Delhi.
(Transferor)

(2) Brahm Datt, HUF,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in hat Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. Bt. 9, in 5, Bhikaiji Cama Place, New Delhi
Approx. area 213 sf. ft.

Date : 11-12-1986

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi.

Date : 11-12-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/2072.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. Bt. 5 situated at 5, Bhikaiji Cama Place, New Delhi and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi 1 April, 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealcent of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

8—416GI/86

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Brahm Datt, HUF,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. Bt. 5, on Basement floor in 5, Bhikaiji Cama Place, New Delhi Approx. area 258 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. E-VII/37EE/4-86/2071.—Whereas I V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. Bt. 4, situated at 5, Bhikaiji Cama Place, N. Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi
in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Brahm Datt, HUF,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. Bt. 4, 5, Bhikaiji Cama Place, New Delhi, App area 624, sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authorit
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta
Acquisition Range-VII, Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delh

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Ac. VII/37EE/4-86/2070.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair arket value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. Lg-14, situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi
in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer or :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of be disclosed by the transferee for (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Geeta Datt,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. LG-14 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi, Appr. area 203 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/2069.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. A-210 situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred in the office of the registering officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi
on April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Sarla Datt,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. A-210 on second floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 375 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/2068.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
F. No. 619 situated at 9-Bhikaiji Cama Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi
in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Brahm Datt Investments & Finance Co. P. Ltd.,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the ame meaning as given in that Chapter :

THE SCHEDULE

F. No. 619 on sixth floor in 9-Bhikaiji Cama Place, New Delhi, approx. area 556 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/2067.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 428 situated at 9-Bhikaiji Cama Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi
in April, 1986
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Brahm Datt Investments & Finance Co. P. Ltd.,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 428 on fourth floor in 9 Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 356 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII, AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37-EE/4-86/2066.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 424 situated at 9, Bhikaiji Cama Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred registered under the Registration Act, in the Office of the Registering Officer at
New Delhi in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acpuisition of the aforesaid property by the issue of said this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Brahm Datt Investments & Finance Co. P. Ltd.,
M-16, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objecitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. 424 on fourth floor in 9, Bhikaiji Cama Place, New Delhi. Approx. area 531 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII, AGGARWAL HOUSE. 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1974.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 412 situated at 9, Janakpuri District Centre, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at New Delhi in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acpuisition of the aforesaid property by the issue of said this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Niagara Hotels & Builders P. Ltd.,
Vikram Tower, 16, Rajendra Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Master Saket Suri (Minor),
Through Father Shri Joginder Paul Suri
33, Pusa Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objecitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 412 in 'Vishwa Sadan Plot No. 9, Janakpuri District Centre, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 11-12-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT,1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII, AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1973.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 411 situated at Plot No. 9, Janakpuri Distt. Centre, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at New Delhi in April, 1986
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of said this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Niagara Hotels & Builders P. Ltd., Vikram Tower, 16, Rajendra Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) Master Saket Suri (Minor), Through Father Shri Joginder Paul Suri, 33, Pusa Road, New Delhi.
(Transferee)

Objecitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 411, in Vishwa Sadan Plot No. 9, Janakpuri District Centre, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1972.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 410 situated at Janakpuri Distt. Centre, New Delhi *(and more fully described in the Schedule annexed hereto)*, has been transferred in the office of the registering officer at New Delhi in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of said this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Niagara Hotels & Builders P. Ltd., Vikram Tower, 16, Rajendra Place, New Delhi. (Transferor)

(2) Master Saket Suri (Minor), Through Father Shri Joginder Paul Suri 33, Pusa Road, New Delhi. (Transferee)

Objecitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 410, in Vishwa Sadan, Plot No. 9, Janakpuri District Centre, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq. VII/37EE/4-86/1971.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to able property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 409 situated at Janakpuri Distt. Centre, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at New Delhi in April, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrumen of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acpuisition of the aforesaid property by the issue of said this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Niagara Hotels & Builders P. Ltd., Vikram Tower, 16, Rajendra Place, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Joginder Paul Suri Through Father Shri Joginder Paul Suri 33, Pusa Road, New Delhi. (Transferee)

Objecitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 409, in Vishwa Sadan Plot No. 9, Janakpuri Distt. Centre, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII, Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
G-13, GROUND FLOOR CR BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1970.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat No. 408
situated at Janakpuri Distt. Centre, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the office of the registering officer at New Delhi in April 1986,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Nagara Hotels & Builders P. Ltd.
Vikram Tower, 16, Rajendra Place,
New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Aman Suri S/o
Joginder Paul Suri,
33, Pusta Road,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter X XA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 408 in Vishwa Sadan Plot No. 9, Janakpuri Distt. Centre, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
G-13, GROUND FLOOR CR BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1968.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. 431.
situated at 9-Bhikaji Sama Place, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the Competent Authority at
Competent Authority at
I.T. Act. 1961 IAC Range-I,
New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.
56, Community Centre,
East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Anjali Anand,
B-11, Greater Kailash-II
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 431 on fourth floor in 9, Bhikaiji Cama Place, New Delhi. Approx. area 3 4 2, sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
G-13, GROUND FLOOR CR BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86|1967.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. 430,
situated at 9-Bhikaiji Cama Place, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the Competent Authority at
I.T. Act, 1961 IAC Range-I,
New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957, (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Biulers P. Ltd.
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Anjali Anand,
B-11, Greater Kailash-II, New Delhi.
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 430 on fourth floor in 9, Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 342, sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
G-13, GROUND FLOOR CR BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC|Acq.VII|37EE/4-86|1966.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. Bt. 45,
situated at 5, Bhikaiji Cama Place, New Delhi,
I.T. Act, 1961 IAC Range-I,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the Competent Authority at
New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi. (Transferor)

(2) Mrs. Anjali Anand,
B-11, Greater Kailash-II,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. Bt. 45 on Basement Floor in 5, Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 199 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUUISITION RANGE-II,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC|Acq.VII/37EE/4-86/1965.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. Bt. 44,
situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred registering officer at I. T. Act, 1961 IAC Range-I
New Delhi in April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Anjali Anand,
B-11, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. Bt. 44, on basement floor in 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi approx. area 406 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1779.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. F. No. 433,
situated at 9-Bhikaiji Cama Place, New Delhi,
I.T. Act. 1961 IAC Range-I,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred in the Office of the registering officer at New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

30—416GI/86

(1) Som Datt Builders P. Ltd.
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Anuradha Datt Munjal
D-151, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publcaton of ths notce n the Offical Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used heren as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. 433 on fourth floor in 9-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 487 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1778.—Whereas,
I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 - and bearing
F. No. 624 situated at 9-Bhikaiji Cama Place,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, respec. of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Ac, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Anuradha Datt Munjal,
D-151, East of Kailash, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. 624 on sixth floor in 9-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 540 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1777.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 - and bearing
F. No. 432 9-Bhikaiji Cama Place, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby *initiate proceedings* for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Charu Datt.
C-22, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. 432 on fourther floor in 9 Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. Area 341 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Acquisition Range-VII
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-1

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1775.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Ac, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 - and bearing F. No Bt. 36 situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I New Delhi on April 1986 for an apparent considera ion which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consid ra ion therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer wi.h the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Ac', 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initia e proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Charu Datt.
C.22, Greater Kailash-I. New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazet e or a period of 30 days from the servce of no'ice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, wi hin 45 days from the date of t e publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. Bt. 36 on basement floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 259 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Dslhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1774.—Whereas, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair arket value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing F. No. Bt. 35 situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Charu Datt.
C.22, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. Bt. 35 on basement floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 251 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Dslhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1773.—Whereas,
I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair arket value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
F. No. LG-10 situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at Nw Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Charu Datt.
C.22, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. LG-10 on lower ground floor 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi appprox. area 478 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269L (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII

AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Dslhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1770.—Whereas,
I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair arket value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
F. No. Bt. 38 situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at New Delhi on April 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of be disclosed by the transferee for (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Charu Datt.
C.22, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. Bt. 38 on basement floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi Approx. area 261 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1769.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair arket value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing F. No. Bt. 39 situated at 5-Bhikaiji Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of be disclosed by the transferee for (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Latika Datt.,
C-22, Greater kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. Bt. 39 on Basement floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 405 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Dslhi, the 11th December 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1772.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. F. No. Bt. 24 situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Sadhna Singh,
D-77, Saket, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

F. No. Bt. 24 on basement floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 415 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Dslhi, the 11th December, 1986

Ref. No. IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1771.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

Rs. 1,00,000/- and bearing
F. No. Bt. 23. situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I New Delhi on April 1986 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of be disclosed by the transferee for (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Sadhna Singh,
D-77, Saket, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chaper.

THE SCHEDULE

F. No. Bt. 23 on basement floor in 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi approx. area 253 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Dslhi, the 11th December 1986

Ref. No IAC/Acq.VII/37EE/4-86/1774.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. Bt. 10 situated at 5-Bhikaiji Cama Place, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I New Delhi on April 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of be disclosed by the transferee for (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders P. Ltd.,
56 Community Centre,
East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Brahm Datt, HUF,
M-16, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. Bt. 10 on Basement floor in 5, Bhikaiji Cama Place, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House, 4/14-A. Asaf Ali Road,
New Delhi-I

Date : 11-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 25th November 1986

C.R. No. 62/50110/86-87/AGQ/B.—Whereas, I, R. S. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 72/1-6 situated at Cunningham Road, Div. No. 44, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at Gandhi Nagar Bangalore on 29-5-1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following

(1) 1. Sri M. Soundararajan, No. 2, Brunton Road, Bangalore-560 025.
2. Sri M. S. Shivananda, No. 2, Brunton Road, Bangalore.
3. Sri V. Nagaraj, No. 13/3, Palmgrove Road, Augtin Town, Bangalore-560-0047.
4. Sri S. Ashok Kumar, No. 13/3, Palmgrove Road, Austin Town, Bangalore-560-0047.
5. Sri M. S. Manjunatha, No. 2, Brunton Road, Bangalore-560 025.
6. Sri M. S. Vijayakumar, alias M. S. Vijaya, No. 2, Brunton Road, Bangalore.
7. Sri R. Nagaraj, No. 101, Old Madras Road, Ulsoor, Bangalore-560 008.

(Transferor)

(2) M/s. Skyline Enterprises, Unit-II, 1 Floor, St. Palicks Business Complex, Museum Road, Bangalore-560 0025.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 525 Dated 27-6-1986].

All that Piece and Porcel of land measuring about 10.570 sq. ft. in extent with building thereon, situated in the Western entermity of former of composite site bearing old No. 2, New No. 72, Cunningham Road, and now independently renumbered and known as No. 72/1-6, Cunningham Road (Now designated of Sanpang Ramaswamy Temple Street) in Corporations Division No. 44, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Bangalore

Date : 25-11-1986
Seal .

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1986